स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

अभिव्यक्ति

राजभाषा ई–पत्रिका 2021

द्वितीय अंक

आस्था के साधनों का निर्माता :

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली

Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi

GOVERNANCE now
8TH PSU AWARDS
CMD Leadership Award
Ms Tripti Patra Ghosh
Chairman & Managing Director
Security Printing and Minting Corporation
of India Ltd
(Miniratna I)

A SRI ADHI... S ENTERPRISE
GOVE... CE now

Jay Prakash
GOVERNANCE now
8TH PSU AWARDS
Emerging Digital Transformation
Leader
Shri Ram Sahai Goojar
Additional General Manager (IT)
Security Printing and Minting Corporation o
India Ltd
(Miniratna I)

LIVE
A SRI A... S ENTERPRISE
GOV... CE now

अभिव्यक्ति

राजभाषा ई-पत्रिका – 2021

द्वितीय अंक

संरक्षक

बी. जे. गुप्ता

मुख्य महाप्रबन्धक (मा. सं.)

संपादक

नरेश कुमार

उप प्रबन्धक (रा. भा.)

संपादक मंडल

अनुराग शर्मा

हिन्दी अनुवादक

रश्मि कौशिक

कार्यालय सहायक (रा.भा.)

"पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के निजी विचार हैं। रचना की मौलिकता और अन्य किसी विवाद के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी होंगे।"

website : www.http//spmcil.com

E-mail : rajbhasha@spmcil.com

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
01	संदेश	02-05
02	संरक्षक की कलम से	06
03	संपादकीय	07
04	12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास	08-11
05	निदेशक (वित्त) से साक्षात्कार	12-14
06	निगम अभिशासन	15-17
07	कोविड महामारी के दौरान एसपीएमसीआईएल की कल्याणकारी पहलें	18
08	कोरोना के साथ जीवन जीने की चुनौती	19
09	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - प्रमुख बिन्दु	20-21
10	एसपीएमसीआईएल की सीएसआर गतिविधियां	22-23
11	योग एक स्वस्थ जीवन शैली	24
12	धर्म और मानवता	25
13	साइबर सुरक्षा	26-27
14	वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा अपनी आयकर की गणना	28
15	चरैवेति-चरैवेति	28
16	फ्यूज बल्ब	29
17	गुरुदेव का हिन्दी प्रेम	29
18	कबीर के दोहे - भावार्थ सहित	30
19	हिन्दी वर्णमाला का क्रम से कवितामय प्रयोग	31
20	भावपूर्ण श्रद्धांजली	32-33
21	गतिविधिक झलकियां	34-44
	विशेष आकर्षण - स्मारक सिक्का	आवरण पृष्ठ

तृप्ति पी. घोष
TRIPTI P. GHOSH

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
Chairman & Managing Director

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
मिनिरत्न श्रेणी–I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

संदेश

मुझे इस बात का गर्व है कि एसपीएमसीआईएल, निगम कार्यालय द्वारा 'अभिव्यक्ति' के दूसरे अंक का प्रकाशन निर्धारित समय पर किया जा रहा है। 'अभिव्यक्ति' के प्रथम अंक के लिए पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर निश्चित रूप से दूसरे अंक में प्रस्तुतीकरण, रोचकता, विषय विविधता पर अत्यधिक बल दिया गया है।

गत वर्ष के दौरान संपूर्ण विश्व में कोविड महामारी की भयावह स्थिति रही है। हमारे देश में इस गम्भीर महामारी का व्यापक प्रभाव रहा। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप एसपीएमसीआईएल ने डिजीटल रूपांतरण को अपनाते हुए सभी प्रकार के संप्रेषण में ऑनलाइन माध्यम से अपने कार्यकलापों को न केवल आगे बढ़ाया अपितु अपने प्रमुख उत्पादों के उत्पादन में भी कोविड 2019 के निवारक उपायों का अनुपालन करते हुए लक्ष्यों के अनुसार कार्य किया।

राजभाषा के क्षेत्र में भी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपने कार्यालय में गत वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हुई। एक तरफ माननीय संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण से हमारा इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन हुआ तो दूसरी ओर हमने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के स्तर पर भी प्रतियोगी प्रतियोगिता का आयोजन कर एक नया आगाज किया है। हम इस क्षेत्र में शनै-शनै लक्ष्यों की ओर अग्रसर हैं। हमें इसी प्रकार की प्रतिबद्धता कार्यालय के प्रत्येक कार्यक्षेत्र में दर्शाने की अपेक्षा है जिससे कंपनी चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो।

मेरी कामना है कि **'अभिव्यक्ति'** हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ अन्य प्रमुख कार्यों में भी कार्मिकों का ज्ञानवर्धन करेगी।

तृप्ति घोष

(तृप्ति पात्रा घोष)

एस.के.सिन्हा
S. K. SINHA
निदेशक (मानव संसाधन)
DIRECTOR (HUMAN RESOURCE)
भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.
(Wholly owned by Government of India)

संदेश

मुझे प्रसन्नता है कि 'अभिव्यक्ति' के दूसरे अंक का प्रकाशन निर्धारित समय पर किया जा रहा है। चूंकि यह पत्रिका अपने शैशवकाल में है तथा सुधी पाठकों की प्रतिक्रियाओं, बहुमूल्य सुझावों तथा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन से हम इसके नए अंक में रोचकता, विषय विविधता तथा प्रासंगिकता को ध्यान में रखकर 'अभिव्यक्ति' की सार्थकता कायम करने का प्रयास करेंगे।

कार्यालय में किसी भी कार्य की सफलता का आधार है उस कार्य को कितनी रूचि के साथ निष्पादित किया जाता है। निश्चित रूप से रूचिपूर्वक किया गया प्रत्येक कार्य अपनी अमिट छाप देता है जिसकी झलक तैयारी प्रक्रिया से लेकर इसके तैयार होने तक दिखाई देती है।

अभिव्यक्ति में कार्यालय की वर्ष भर की गतिविधियों के साथ-साथ हमारे कार्मिकों के कार्यक्षेत्र की विशेषज्ञता को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है जिससे प्रत्येक कार्यक्षेत्र का सभी कार्मिकों को ज्ञान हो तथा वे इसका उपयोग अपने कार्यकलापों में यथा संभव कर सकें। मैं निगम कार्यालय के राजभाषा अनुभाग को बधाई देता हूँ कि उनके हिन्दी कार्यान्वयन में लगातार प्रयासरत रहने से मुख्यालय में आज राजभाषा में कार्य करने का वातावरण बना है।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका अपने नए अंक में पाठकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करेगी तथा कोविड महामारी के कारण कर्मचारियों में ऊपजी निराशा, हताशा, को दूर करने में भी यह पत्रिका सहायक सिद्ध होगी।

शुभकामनाओं सहित।

सुनील कुमार सिन्हा

अजय अग्रवाल
AJAY AGARWAL
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)
भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.
(Under Ministry of Finance, Government of India)

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि कार्यालय की गृह पत्रिका 'अभिव्यक्ति' के दूसरे अंक के प्रकाशन की तैयारी की जा रही है। यह पत्रिका हमने पिछले वर्ष ही प्रांरभ की है तथा हमारा प्रयास है कि प्रथम अंक में पाठकों के बहुमूल्य सुझावों के आधार पर इस अंक को बेहतर रूप में पाठकों को उपलब्ध कराया जाए।

पत्रिकाएं कार्यालय के दर्पण के रूप में अभिव्यक्ति देती है। संगठन की संस्कृति, कार्यकलापों, गतिविधियों की जानकारी पत्रिकाओं के माध्यम से देखी जा सकती है। इनमें प्रकाशित लेख तथा विविध प्रकार की जानकारी न केवल कर्मचारियों की प्रतिभा दर्शाती है अपितु उनके कार्य कौशल की झलक भी देती है।

कार्यालय में अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों के साथ-साथ इन कार्यों में राजभाषा का प्रयोग लक्ष्यानुसार एवं भाषा की सरल अभिव्यक्ति के साथ करना अनिवार्य है जिससे उचित संप्रेषण हो सके। मैं सभी से आशा करता हूँ कि सभी अपनी प्रिय कंपनी के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए इसके प्रत्येक कार्यकलाप में बढ-चढ़ कर भाग लें।

आपके स्वास्थ्य की कामनाओं सहित।

अजय अग्रवाल

अजय अग्रवाल

विनय कुमार सिंह, भा. रा. से.
VINAY K. SINGH, I.R.S.
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer
भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.
(Under Ministry of Finance, Government of India)

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि एसपीएमसीआईएल में राजभाषा गतिविधियों को अपने संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप सुचारू रूप से संपादित किया जा रहा है। कार्यालय की पत्रिका '**अभिव्यक्ति**' के दूसरे अंक का प्रकाशन निर्धारित समय पर सुनिश्चित करना इसका एक उदाहरण है।

पत्रिकाएं संगठन के कार्य परिवेश तथा इसके कर्मचारियों के बौद्धिक क्षमता का परिचय देती हैं। एसपीएमसीआईएल उत्पादन से जुड़ी इकाई है जिसमें संवेदनशील उत्पादों के निर्माण में कौशलता, क्षमता तथा योग्यता के आधार पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इन उत्पादों में कर्मचारियों की शिल्पकारी, दस्तकारी का विशेष योगदान रहता है।

इस प्रकार की पत्रिकाएं संगठन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति का सुलभ माध्यम प्रदान करती हैं।

पत्रिका के संपदन मंडल को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि पत्रिका अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहेगी।

(विनय कुमार सिंह)

बी. जे. गुप्ता
B. J. GUPTA
मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
Chief General Manager (Human Resource)
भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.
(Wholly owned by Government of India)

संरक्षक की कलम से

'अभिव्यक्ति' के दूसरे अंक को आपको प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। कार्यालय के अपने नेमी कार्यों के साथ-साथ पत्रिका का निर्धारित समय पर प्रकाशन इस बात को दर्शाता है कि हिन्दी विभाग अपने दायित्वों के प्रति पूर्णता सजग है तथा परिणामस्वरूप निगम कार्यालय में गत वर्ष के दौरान राजभाषा के प्रयोग के अपेक्षाकृत काफी प्रगति हुई है जो कि प्रशंसनीय है।

निगम कार्यालय में माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 27.10.2021 को किए गए राजभाषा निरीक्षण के उपरांत कार्यालय में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के कुशल मार्गदर्शन तथा कार्यों की आवधिक समीक्षा से मुख्यालय में प्रत्येक विभाग में हिन्दी के प्रयोग में सुधार हुआ है। हिन्दी अनुभाग द्वारा नराकास स्तर पर 'कविता पाठ' प्रतियोगिता तथा सभी इकाइयों के लिए दिनांक 17.02.2021 को ऑनलाइन राजभाषा सम्मेलन से भी कार्यालय में राजभाषा प्रगति में एक नया संचार उत्पन्न हुआ है।

'अभिव्यक्ति' के माध्यम से अधिकांश कार्मिकों के कार्यकलापों को लेखनबद्ध करने से निश्चित रूप से सभी पाठकों का विभिन्न विषयों के संबंध में ज्ञानवर्धन होगा तथा कंपनी के कार्यस्तर को आगे बढ़ाने में इसका अवश्य लाभ मिलेगा।

मुझे आशा है कि **'अभिव्यक्ति'** का यह अंक सुधी पाठकों की अपेक्षाओं के अनुसार रूचिपूर्वक होगा।

बि जे गुप्ता

बी. जे. गुप्ता

संपादकीय

कार्यालय की गृह पत्रिका **'अभिव्यक्ति'** के दूसरे अंक को आपको प्रस्तुत करते हुए मुझे अति हर्ष इसलिए हो रहा है क्योंकि निगम कार्यालय की ओर से मेरा यह पहला प्रयास है। एक नई जिम्मेदारी को चुनौती के रूप में स्वीकारने और उसे बेहतर अंजाम देने का मेरा प्रयास है। कार्यालय में पत्रिका प्रकाशन के लिए विपरीत परिस्थितियों में कर्मचारियों से उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में लेख लेने की प्रक्रिया में सभी का सकारात्मक सहयोग वास्तव में मुझे इस कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

'वाटसअप ज्ञान और गूगल' उपकरणों के चलते वास्तव में आज कर्मचारियों से उनकी अभिव्यक्ति को लेखनबद्ध कराना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। परंतु यह कार्य उनके विवेक, आत्मगौरव, ज्ञान को जागृत कर सरलता से कराया जा सकता है बशर्ते कि उनको उनके कार्यक्षेत्र के ज्ञान, एवं उस ज्ञान के दूसरों के लिए उपयोगिता का उन्हें अहसास कराया जा सके। 'अभिव्यक्ति' के लिए कर्मचारियों से लेख आमंत्रित करने में इस उपाय का अचूक उपयोग किया गया। कर्मचारियों को उनके कार्यकलापों के संबंध में उन्हें प्रेरित कर बड़ी ही सरलता से उनसे उनकी अभिव्यक्तियां प्राप्त की गई।

आशा करता हूँ कि अभिव्यक्ति का दूसरा अंक अपेक्षाकृत रोचक रहेगा। प्रथम अंक के प्रति आपके सुझावों को इसमें शामिल कर इसकी साज-सज्जा, रोचकता, प्रस्तुतीकरण एवं कर्मचारी उन्मुखीकरण पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया गया है। पुन: आपके उपयोगी सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

नरेश कुमार
उप प्रबंधक (राजभाषा)

12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास

राजभाषा अर्थात राज - काज की भाषा , अर्थात सरकार द्वारा आम जन के लिए किए जाने वाले कार्यों की भाषा । राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों / मंत्रालयों / उपक्रमों / बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम् भूमिका रही है। राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

केंद्र सरकार के कार्यालयों / मंत्रालयों / उपक्रमों / बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन-प्रति-दिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है । साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के " आत्मनिर्भर भारत " " स्थानीय के लिए मुखर हों (Self Reliant India-Be vocal for local) अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत में सी-डेक, पुणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल "कंठस्थ" का विस्तार कर रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ - साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित हो। राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में हमारी प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए,इसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए ?, इस पर विचार करने के दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले' स्मृति-विज्ञान (Mnemonics) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी नजर आती है। विदेश से भारत में निवेश बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के छह डी:

Democracy (लोकतंत्र)
Demand (मांग)
Demographic Dividend (जनसांख्यिकीय विभाजन)
Deregulation (अविनियमन)
Descent (उत्पत्ति)
Diversity (विविधता)

से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने" 12" प्र की रणनीति - रूपरेखा (Frame work) की संरचना की है, जो निम्न प्रकार से है :

1. प्रेरणा (Inspiration and Motivation)

प्रेरणा (Inspiration) का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि (Fire in the belly) को प्रज्वलित करने जैसा होता है । हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

2. प्रोत्साहन (Encouragement)

मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय-समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है।

3. प्रेम (Love and Affection)

वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

4. प्राइज अर्थात पुरस्कार (Rewards)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं । राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों / बैंकों उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / उपक्रमों बैंकों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 14 सितंबर, हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने-कोने से इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आती है। जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल' कंठस्थ के अंदर डेटाबेस को मजबूत करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता एवं सचिव (रा.भा.) की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया। इस कदम का यह परिणाम हुआ कि लगभग छह महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राइज यानि पुरस्कार का महती योगदान होता है।

5. प्रशिक्षण (Training)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग - अलग आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। कहते हैं - "आवश्यकता, आविष्कार और नवीकरण की जननी है। "कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी। समय-समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए- ई-प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान - केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत - स्थानीय के लिए मुखर हों (Be Local for Vocal) अभियान के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वदेशी NIC-Video Desk Top पर माइग्रेट किया जा रहा है।

6. प्रयोग (Usage)

यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं (If you do not use it , you lose it) हम जानते हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे-धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है इसलिए यह आवश्यक होता है की भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। हिंदी का प्रयोग अपने अधिक से अधिक काम में मूल रूप से करें ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिंदी के शब्द भी प्रचलन में रहें।

7. प्रचार (Advocacy)

संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। हिंदी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व–माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी राजभाषा हिंदी के मेसकोट- ब्रांड राजदूत (Brand Ambassadors) के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । देश - विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इसका अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थानों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था।

उनके द्वारा भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा हिंदी थी जिससे स्वत: ही हिंदी का प्रचार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है। तकनीक के इस युग में संचार माध्यमों को बड़ा योगदान है इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की मांग है।

8. प्रसार (Transmission)

राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों / बैंकों / उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों जिसमें कि प्रचार - प्रसार भी शामिल है, का अधिक से अधिक निर्वहन करे। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह-पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है । राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर बनाए गए ई-पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई- पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे| राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ-साथ बालीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है।

9. प्रबंधन (Administration and Management)

यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊचाइयों तक ले जा सकता है इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय - समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा - निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच - बिंदु बनवाएं और उपाय करें।

10. प्रमोशन (पदोन्नति) (Promotion)

राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा, जब राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी; केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सदस्यगण, सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हों और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं। समय - समय पर प्रमोशन (पदोन्नति) मिलने पर निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा और इच्छाशक्ति सुदृढ़ होगी।

11. प्रतिबद्धता (Commitment)

राजभाषा हिंदी को और बल देने के लिए मंत्रालय / विभाग / सरकारी उपक्रम / राष्ट्रीयकृत बैंक के शीर्ष नेतृत्व (माननीय मंत्री महोदय, सचिव, संयुक्त सचिव (राजभाषा), अध्यक्ष और महाप्रबंधक)की प्रतिबद्धता परम आवश्यक है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव अनुसार और राजभाषा विभाग के अनुभव से यह पाया गया है कि जब शीर्ष नेतृत्व हिंदी के प्रगामी / उत्तरोत्तर ही नहीं, अपितु अधिकतम प्रयोग के लिए स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हैं तब उनके उदाहरणमय नेतृत्व (Exemplary Leadership) से पूरे मंत्रालय / विभाग / उपक्रम / बैंक को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है| जब वे हिंदी के लिए एक अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाते हैं और बीच - बीच में हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring) करते हैं तब हिंदी की विकास यात्रा और तीव्र होती है जैसे कि गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में देखा गया है। अभी हाल में ही राजभाषा विभाग ने सबको पत्र लिखकर आग्रह किया है: (क) हर माह में एक बार सचिव / अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता में जब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करते हैं तब इसमें हिंदी में काम - काज की प्रगति और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन का मद भी अवश्य रखें और चर्चा करें ।

(ख) अपने मंत्रालय/ विभाग/ संस्थान में अपने संयुक्त सचिव (प्रशासन)/ प्रशासनिक प्रमुख को ही हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दें और हर तिमाही में उनकी अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक करें।

12. प्रयास (Efforts)

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए। यहां कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं कि:

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
आख़िर उसकी मेहनत बंकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है
जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में
बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें । हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बारह 'प्र' को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के' एक भारत, श्रेष्ठ भारत: 'सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

डॉ . सुमीत जैरथ
सचिव राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

निदेशक (वित्त) से साक्षात्कार

श्री अजय अग्रवाल ने 23 नवंबर 2017 से एसपीएमसीआईएल में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। वे वाणिज्य स्नातक में स्वर्ण पदक विजेता, लागत तथा प्रबंधन लेखाकार और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मानव संसाधन) में परास्नातक हैं। वे वर्ष 1992 में भारतीय लागत लेखा सेवा में शामिल हुए और उन्होंने अनेक मंत्रालयों तथा क्षेत्रीय संगठनों में विभिन्न क्षमताओं में अपने सेवाएँ दी हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय में सेवा की है। उन्होंने निदेशक प्रशासन और सतर्कता के पद पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ अपने कार्यकाल के दौरान पूरे भारत में फैले लगभग 110 अधीनस्थ कार्यालयों का कार्यभार संभाला।

उन्होंने कई नवोन्मेषी उपायों के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों जैसे केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), पत्तन स्वास्थ्य कार्यालयों (पीएचओ), हवाई अड्डे के स्वास्थ्य कार्यालयों (एपीएचओ), क्षेत्रीय कार्यालयों और राष्ट्रीय प्रमुखता के अनेक स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज में प्रणालीगत सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत इरेडा के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। वे चार साल से अधिक समय तक दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के निदेशक (वित्त) रहे। एसपीएमसीआईएल में शामिल होने से पहले उन्होंने एक लघु अवधि के लिए मुख्य सलाहकार लागत, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय में सलाहकार (लागत) के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री अजय अग्रवाल ने केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ अपने कार्य के दौरान व्यापक यात्राएं की हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वित्तीय विश्लेषणात्मक कौशल में प्रशिक्षण और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (आईपी3), वाशिंगटन में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर प्रशिक्षण सहित भारत और विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

श्री अजय अग्रवाल के पास कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, इक्विटी एंड डेट फंडिंग, स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लानिंग, प्रोजेक्ट्स फंडिंग, ट्रेजरी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड इंटरनल कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बजटीय कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कंप्लायंस, वैधानिक और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में 30 साल से ज्यादा का अनुभव और विशेषज्ञता है।

प्रश्न - आप एसपीएमसीआईएल जैसे एक प्रतिष्ठित संगठन के निदेशक (वित्त) के रूप में अपनी कार्यावधि का वर्णन कैसे करेंगे?

उत्तर- एसपीएमसीआईएल में निदेशक (वित्त) के रूप में मेरा कार्यकाल कम से कम शब्दों में कहूं तो यह बेहद संतोषजनक रहा। समृद्ध इतिहास और राष्ट्र के लिए मुद्रा मुद्रण के संप्रभु कार्य को निष्पादित करने की परंपरा वाले प्रतिष्ठित संगठन के साथ जुड़ना मेरे लिए आत्मगौरव की बात है। मैं नवंबर 2017 में एसपीएमसीआईएल से जुड़ा हूँ और इस संगठन के साथ लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। इन 3 वर्षों के दौरान, मैंने इसे और अधिक सुदृढ़ और उत्पादक बनाने के लिए वित्तीय कार्यों में कई पहल शुरू की हैं। मेरा इरादा वित्त विभाग की भूमिका को 'नियंत्रक' से उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप में नई पहलों के लिए 'सक्षम' में बदलना रहा है। इस कार्यकाल के दौरान हर कदम पर मेरा समर्थन करने के लिए अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक और मेरे साथी निदेशकों को हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

प्रश्न- एसपीएमसीआईएल में शामिल होने से पहले आपने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों में कार्य किया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा मंत्रालय सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण लगा और आपने इसे कैसे संभाला?

उत्तर- मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ 2005-2010 से मेरा 5 साल का कार्यकाल सबसे चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ सबसे संतोषजनक था। मुझे भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को प्रभावित करने वाले असंख्य क्षेत्रों पर काम करने का अवसर मिला। मैंने मंत्रालय की कुछ प्रमुख पहलों की देखरेख की, जिनमें केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) को दुरुस्त करने, आपात स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक योजना, खरीद को सुचारू बनाने के लिए प्रशासनिक नियम पुस्तिका और भारत में मंत्रालय के 110 अधीनस्थ कार्यालयों में अन्य प्रशासनिक मुद्दों आदि का समाधान किया।

प्रश्न - कंपनी ने बीते एक वर्ष में कैसा प्रदर्शन किया है?

उत्तर - व्यापार और उसके आसपास के वातावरण की चुनौतियों के बावजूद, एसपीएमसीआईएल ने 2019-20 में एक और वर्ष मजबूत प्रदर्शन किया। कंपनी ने उत्पादन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी काफी वृद्धि की है। वित्तीय प्रदर्शन के संदर्भ में वर्ष 2019-20 के लिए सतत परिचालन से कर (पीबीटी) से पहले लाभ 1026.79 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2018-19 के लिए 800.69 करोड़ रुपये (पुनर्समूहित) पिछले वर्ष की तुलना में 28.24% की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रश्न - अत्याधुनिक मुद्रा, सिक्कों के विकास की दिशा में किन-किन उभरती बाधाओं (यदि कोई हो) का सामना कर रहे हैं और आप कैसे एक पारदर्शी, लागत प्रभावी उत्पाद निपुण तरीके से बना रहे हैं?

उत्तर- एसपीएमसीआईएल की 09 सुव्यवस्थित और विश्व प्रसिद्ध इकाइयां हैं जिनमें 4 टकसालें, 2 चलार्थ मुद्रणालय, 2 प्रतिभूति मुद्रणालय और 1 कागज कारखाना- जो नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। एसपीएमसीआईएल इकाइयों के पास सामूहिक रूप से लगभग 100 वर्षों का प्रतिभूति मुद्रण का अनुभव और दो शताब्दियों से अधिक मिंटिंग अनुभव है। इकाइयों को लगातार विकसित किया है और पिछले कुछ वर्षों में मार्को-आर्थिक परिदृश्यों के बदलते स्वरूप को स्वीकार किया है। हम अपनी विनिर्माण क्षमताओं को लगातार अपग्रेड करने और उन्हें प्रचलित उद्योग बेंचमार्क के साथ संरेखित करने में विश्वास करते हैं। एसपीएमसीआईएल में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद खंडों में आगामी प्रौद्योगिकी और सुरक्षा सुविधाओं की लहर को बनाए रखने के लिए अनुसंधान और विकास, मशीनरी आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जाए।

प्रश्न- वैश्विक प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता व्यवहार और तकनीकी नवाचार के मामले में कंपनी के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

A. तेजी से डिजिटलीकरण, स्वचालन और परिष्कृत प्रौद्योगिकी की लगातार बढ़ती मांग की दुनिया में भविष्य के लिए तैयार होने के महत्व को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। एसपीएमसीआईएल के व्यावसायिक क्षेत्रों और प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो को डिजिटल सुरक्षा सुविधाओं और प्रोसेस ऑटोमेशन को तेजी से अपनाने से उत्पन्न चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए एसपीएमसीआईएल ने वर्तमान डिजिटल और अनुसंधान और विकास क्षमताओं का विस्तार करने और डिजिटल उत्पाद क्षेत्र में साख बनाने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान कर उनमें पहल कर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दी है। हम बैंक नोटों के मुद्रण में कार्यरत हैं और हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रभाव को भी अपने संज्ञान में ले रहे हैं। भारत में अब भी नकदी का दौर है, परंतु हाल के वर्षों में डिजिटाइजेशन के पक्ष में सतत बदलाव हुआ है। हालांकि, अभी भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अपने दैनिक लेनदेन के लिए नकदी पर निर्भर है। इसके अलावा, जब भुगतान के सुरक्षित माध्यमों की बात होती है तो नकदी लगभग अद्वितीय है। उपभोक्ता व्यवहार के संदर्भ में, मैं दीर्घकाल में विश्वास करता हूँ और भारतीय समाज के प्रकरण में यह कहा जा सकता है कि नकदी और डिजिटल भुगतान दोनों का सह-अस्तित्व लंबे समय तक रहेगा।

प्रश्न. कोविड जैसी वैश्विक महामारी के संकट के समय में आत्मनिर्भरता और आत्म दक्षता के महत्व के विषय में अपने विचारों को स्पष्ट करें ।

उत्तर- स्वावलंबन की परिभाषा में भूमंडलीकृत दुनिया में बदलाव आया है। यह अब आत्म केंद्रित होने का मतलब है। मेरा मानना है कि आत्मनिर्भरता से देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होगा और यह महत्वपूर्ण है कि देश इस प्रतियोगिता को जीते। इसके अलावा, कोविड के समय में, सतत प्रक्रिया में सुधार और नवाचार के माध्यम से घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत बनाने, और महत्वपूर्ण मदों पर आयात निर्भरता को कम करने से राष्ट्र को मजबूती से उभरने में मदद मिलेगी ।

एसपीएमसीआईएल में, हम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' द्वारा लाए गए आत्मनिर्भरता के मूल विचार का पालन कर रहे हैं। वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों में संगठन का इरादा स्वदेशी विनिर्माण की ओर रहा है जिसके तहत अब हम प्रतिभूति स्याही, प्रतिभूति कागज़ जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का आंतरिक उत्पादन कर रहे हैं ।

प्रश्न- अगले 5-10 वर्षों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपका दृष्टिकोण क्या है? क्या आप बेहतर भारत के लिए कोई बदलाव सुझाते हैं?

उत्तर- कोविड-19 के प्रकोप से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक लग रहा था। पहला, 2019-20 के दौरान रबी की बंपर फसल और खाद्य पदार्थों की अधिक कीमतों ने ग्रामीण मांग को मजबूत करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की। दूसरा, बैंक ऋण दरों में नीति दर में पिछली कटौती के संचरण में सुधार हो रहा था, जिसमें खपत और निवेश मांग दोनों के लिए अनुकूल निहितार्थ थे। तीसरा, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती, सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती और ग्रामीण और बुनियादी ढांचे के खर्च को बढ़ावा देने के उपायों को आम तौर पर घरेलू मांग को बढ़ाने पर निर्देशित किया गया था। हालांकि कई अनुमानों से संकेत मिलता है कि कोविड-19 युग के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आई है, लेकिन मैं अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले वित्तीय वर्षों में तेज वृद्धि दर के साथ वापस उछाल की उम्मीद करता हूं। मुझे विश्वास है कि कोविड-19 पश्चात हम बाजार में पहले से कही ज्यादा मजबूती से उभरेंगें।

प्रश्न- आपका सम्मानित संगठन इस महामारी के संकट में कैसे कार्य कर रहा है? एसपीएमसीआईएल के लिए नए परिवेश में कार्य को आसान बनाने के लिए और क्या किए जाने की जरूरत है?

उत्तर- एसपीएमसीआईएल पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाला संगठन होने के नाते भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों का सक्रिय रूप से पालन करता है। प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि दिशा-निर्देशों को सभी 9 इकाइयों में कड़ाई से लागू किया जाए और स्वच्छता अभियान भी नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं। उत्पादन योजना और खरीद समय सीमा तदनुसार कर्मचारी कल्याण और बैठक उत्पादन लक्ष्यों के बीच एक संतुलन रखने के लिए फिर से समायोजित किया गया है। इसके अलावा, कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देने के मद्देनजर, एसपीएमसीआईएल अपने कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती होने और कोविड के कारण किए गए अन्य संबंधित खर्चों के लिए पूर्ण प्रतिपूर्ति प्रदान कर रहा है।

प्रश्न- आप युवा सीएमए पेशेवरों को क्या महत्वपूर्ण सलाह देना चाहोगे?

उत्तर- कभी हार मत मानो! मैं चाहूंगा कि जब सभी युवा पेशेवरों के सामने प्रतिबद्धता और मूल्यों की बात आती है तो उस स्थिति में वे हमेशा सहनशील और सुदृढ़ रहें। मैं आकांक्षा करता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी उच्च आध्यात्मिक जागरूकता के प्रति महत्वकांक्षी बनें। इस सुषुप्त दुनिया में सही चीजों का निष्पादन चुनौतीपूर्ण हो सकता है परंतु सब कुछ समय और ईमानदारी के साथ आता है। मैं चाहता हूं कि युवा सीएमए पेशेवर खुद पर कभी संशय न करें, सर्वोच्च शक्ति अर्थात परमात्मा में विश्वास करें और विश्व की आध्यात्मिक प्रणाली पर भरोसा करें। आप देरी से सफल हो सकते हैं पर यह अवश्य है कि आप सफल जरूर होंगे।

****

निगम अभिशासन से तात्पर्य

अभिशासन शब्द लेटिन भाषा के मूल शब्द 'गुबेरनारे' से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रचालन या संचालन है। वर्ष 1992 में यूनाईनेट किंगडम (यू.के.) केडबरी समिति द्वारा की गई सर्वप्रथम परिभाषा के अनुसार "निगम अभिशासन कंपनियों को निर्देशित और नियंत्रित करने की एक प्रणाली है"। निगम अभिशासन का अर्थ एक कंपनी में विभिन्न हितधारकों के सर्वोत्तम हित में निगम की जवाबदेही, पारदर्शिता , उत्तरदायित्व और निष्पक्षता को प्रोत्साहित करना है। निगम अभिशासन में अनिवार्य रूप से एक कंपनी में सभी हितधारकों अर्थात शेयरधारक, प्रबंधन, उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, वित्त पोषक, सरकार, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर सोसाइटी के हितों में संतुलन कायम रखना शामिल है। संपूर्ण विश्व की निगम अभिशासन विनियमन संरचना हेतु आधार निर्माण करने वाले आर्थिक सहयोग विकास संगठन द्वारा प्रतिपादित "निगम अभिशासन संरचना को विधि या आपसी समझौते द्वारा स्थापित हितधारकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और निगमों तथा हितधारकों के मध्य धन-संपत्ति, रोजगार और वित्तीय सुदृढ़ उद्यमों की निरंतरता सृजन में सक्रिय सहयोग करना चाहिए।"

निगम अभिशासन की महत्वता

निगम अभिशासन निगमों और समाज के आर्थिक स्वास्थ्य के प्रति इसकी महत्वता के कारण लोकमत को प्राप्त करने में सफल हो पाया गया है। निगम अभिशासन का उद्देश्य दीर्घकालिक निवेश, वित्तीय स्थिरता और व्यवसायिक सत्यनिष्ठा के लिए आवश्यक विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु एक वातावरण निर्मित करना है, जो सुदृढ़ विकास में सहायक हो। निगम अभिशासन संरचना को पारदर्शी और निष्पक्ष बाजारों तथा संसाधनों के प्रभावी आवंटन को बढ़ावा देना चाहिए। इसे विधि संगत और प्रभावी पर्यवेक्षण तथा प्रवर्तन का पक्षकार करना चाहिए। भारत में, कंपनी अधिनियम, 2013 निगम अभिशासन के सिद्धांतों को पर्याप्त मान्यता देता है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निगम अभिशासन के कार्यान्वयन का एक सशक्त साधन है।

निगम अभिशासन का सिद्धांत

निगम अभिशासन का तात्पर्य सही चीजों को सही समय पर व सही तरीके से करना है। यह केवल व्यवसायिक आवश्यकताओं द्वारा संचालित एक सुगम और परदर्शी निगम संरचना की परिकल्पना करती है और इसलिए यह पड़ाव नहीं एक सफर है। यह प्रबंधन की संस्कृति और मनोस्थिति से उत्पन्न होने के चलते विधिक सीमा से परे है। निगम अभिशासन का अभिप्राय पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही से है। इसमें कंपनी के प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारकों और हितधारकों के बीच संबंधों का एक समूह शामिल है। निगम अभिशासन निरंतर प्रदर्शन में सुधार और निवेशकों का विश्वास अर्जित करने की वजह से व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण सफल कारक है। निगम अभिशासन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित

करने से संबंधित है। निगम अभिशासन का सिद्धांत जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निष्पक्षता पर आधारित है। ये चार सिद्धांत पूर्णत: कंपनी के निगम सामाजिक दायित्व से भी संबंधित हैं। निगम अभिशासन और सामाजिक दायित्व की वजह से संगठनों को चीजें व्यवस्थित रखने में सहायता मिलती है।

लोक उपक्रमों में निगम अभिशासन

लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगम अभिशासन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) भी कंपनी अधिनियम, 2013 और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), प्रशासनिक मंत्रालयों, अन्य नोडल मंत्रालयों, आदि जैसे विभिन्न प्राधिकरणों के नियमों द्वारा शासित होते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भी सीपीएसई पर लागू होता है।

निगम अभिशासन के प्रति एसपीएमसीआईएल का दर्शन

भारत की पूर्णस्वामित्व एक मिनीरत्न श्रेणी-। सीपीएसई कंपनी होने के नाते भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) निगम अभिशासन की एक सुदृढ़ संरचना के अंदर कार्य करती है, जो अभिशासन की गुणवत्ता, सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेही, प्रकटन में पारदर्शिता, सतत हितधारक मूल्य प्रवर्तन, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और सभी हितधारकों के साथ पक्षपात रहित व्यवहार के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड ऐसे मूल्य सृजित करने हेतु प्रतिबद्ध है, जो न केवल व्यापार के लिए लाभप्रद हो अपितु सभी हितधारकों के दीर्घकालिक हितों में भी सतत हो। इसीलिए, कंपनी अपने प्रदर्शन और कंपनी में अभिशासन से संबंधित समयबद्ध और सटीक जानकारी प्रदर्शित करना अपना सर्वप्रथम दायित्व मानती है।

भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित निगम अभिशासन के मानकों और लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.), भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीईएस) के लिए जारी निगम अभिशासन के दिशा-निर्देशों का नियमित रूप से अनुपालन कर रही है। भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) ने लगातार वर्ष 2019-20 के लिए लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए 2010 में जारी निगम अभिशासन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया हैं। भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की प्रमुख विशेषता यह है कि यह जवाबदेही, पारदर्शिता, अखंडता, व्यावसायिकता, जिम्मेदारी और निष्पक्षता पर आधारित मूल्यों के इर्द-गिर्द ही कार्य करती है। उच्चतम स्तर पर, कंपनी निरंतर आधार पर इन पहलुओं में संशोधन का प्रयास करती है और संसाधनों का लाभ उठाने तथा उचित सशक्तिकरण और प्रेरणा के माध्यम से मानव संसाधनों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देते हुए कंपनी को आगे ले जाने के लिए अवसरों को उपलब्धियों में परिवर्तित करने हेतु नवीनतम दृष्टिकोण अपनाती है । कंपनी का विश्वास है कि एक अच्छा निगम अभिशासन एक सतत परंपरा है और अपने हितधारकों के संपूर्ण हित के लिए निगम अभिशासन के उच्चतम मानकों को आगे बढ़ाने पर अपनी प्रतिबद्धता को पुन: स्पष्ट करती है। संदर्शन के अलोक में, भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण लिमिटेड में निगम अभिशासन निम्नलिखित मुख्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों और क्रियाओं पर आधारित है। स्वतंत्रता और निदेशक मण्डल की बहुमुखी प्रतिभा तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन के पास उद्यम को प्रगति के पथ पर अग्रेषित करने हेतु अनवरोध अधिकाधिक शासनात्तमक स्वतंत्रता हो। कानूनों, नियमों, विनियमों का अनुपालन करना तथा सभी हितधारकों के सतत विकास हेतु सामाजिक जिम्मेदारियों का निवर्हन करना। आंतरिक नियंत्रण हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली तथा दीर्घ व अल्पकालिक दोनों व्यवसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के जोखिमों को कम करना। मूल्यों, नीतिपरक व्यवसाय, प्रकटन की उच्च स्तरीय पारदर्शिता स्तरों के प्रति प्रतिबद्धता। अपशिष्टों व जोखिमों का उपशमन। भ्रष्टाचार और कदाचार का उन्मूलन। सभी हितधारकों को सभी सटीक महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराना।

कंपनी की निगम अभिशासन नीति के संदर्भ में सभी वैधानिक और अन्य महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी निदेशक मण्डल के सामने रखी जाती है ताकि वह शेयरधारकों के न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में कंपनी के कार्यनीतिक पर्यवेक्षण की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। कंपनी निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकों के लिए लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों और सचिवीय मानकों का पालन करती है। सामान्यत: निर्देशक मण्डल की बैठकें नई दिल्ली में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और ये पहले ही सुनियोजित होती हैं। निर्देशक मण्डल के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारी उपलब्ध होती है और वे किसी भी मामले को कार्यसूची (एजेंडा) में शामिल करने की सिफारिश हेतु स्वतंत्र हैं। ये सिफारिशें आमतौर पर अग्रिम रूप में प्रेषित की जाती हैं। आवश्यकतानुसार , वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मण्डल की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि चर्चा की जा रही वस्तुओं से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जा सके और या निर्देशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुति दी जा सके। तिमाही में कम से कम एक बार त्रैमासिक परिणामों और कार्यसूची (एजेंडा) के अन्य मदों की समीक्षा करने हेतु निदेशक मण्डल की बैठक आयोजित होती हैं। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। निदेशक मण्डल का अधिदेश कंपनी की कार्यनीतिक दिशा की निगरानी करना, निगमीय प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करना, नियामित अनुपालन सुनिश्चित करना और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना है।

निदेशक मण्डल ने वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में विभिन्न समितियों यथा अंकेक्षण समिति, निगम सामाजिक दायित्व समिति, परिश्रमिक समिति का गठन किया है। इसके अलावा, निदेशक मण्डल ने कंपनी के अधिशेष धन के निवेश के लिए एक निवेश समिति भी गठित की है। लोक उद्यम विभाग के कार्यान्वित दिशानिर्देशों के अनुपालन में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) भी गठित की गई है। निदेशक मण्डल स्तर की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को परिचालित किया जाता है और निदेशक मण्डल की बैठकों में चर्चा की जाती है।

भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के अपने कर्मचारियों के लिए एक उच्च मानक आचरण स्थापित करने के निरंतर प्रयास के भाग के रूप में, सभी निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए एक 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' निर्धारित की गई है।

सचिन अग्रवाल
कंपनी सचिव

कोविड महामारी के दौरान एसपीएमसीआईएल की कल्याणकारी पहलें

कोरोना वायरस महामारी ने एसपीएमसीआईएल के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला तथा साथ ही इसके मानव संसाधन को भी प्रभावित किया है। कंपनी ने अपने मानव संसाधन के अनुरूप कार्य वातावरण में परिवर्तन को प्रोत्साहित किया तथा विभिन्न उपायों को अपनाया ताकि मानव संसाधन के जीवन में कोविड के प्रभाव को कम किया जा सके। एसपीएमसीआईएल एक कर्मचारी कल्याण संगठन होने के कारण प्रारंभ से ही अपनी मूल्यवान जनशक्ति को संक्रमण से सुरक्षित करने के लिए कोविड-19 जागरूकता पहल, कार्यस्थल और एस्टेट के नियमित सैनिटाइजेशन, पर्याप्त सैनिटाइज़र मशीनें उपलब्ध करायी गई।

कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए कार्य को बाधित किए बिना कर्मचारियों में अपेक्षित दूरी बनाए रखने के लिए रोस्टर ड्यूटी लागू की गई तथा उन्हें वर्क फ्रॉम होम पर भी रखा गया। कर्मचारियों के परिवारजनों के कोविड संक्रमित होने की स्थिति में उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया।

कर्मचारियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए प्रबंधन ने तत्काल कदम उठाते हुए कोविड -19 के कारण कर्मचारियों की मृत्यु के मामले में आर्थिक मदद प्रदान करने का निर्णय लिया तथा इस उद्देश्य से मौद्रिक मुआवजा नीति लागू की गई, इस नीति के अंतर्गत दिवंगत कर्मचारी के आश्रित को रू 25 लाख तथा परामर्शदाताओं या आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के आश्रित को रू 10 लाख का मुआवजा तत्काल दिया जा रहा है। इस योजना से कर्मचारियों के ड्यूटी पर जाने का डर काफी हद तक कम हुआ है। इसके साथ-साथ निगम मुख्यालय सहित अधिकांश इकाइयों द्वारा कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए नि:शुल्क कोविड टीकाकरण शिवरों का भी आयोजन किया गया। एसपीएमसीआईएल द्वारा अपने कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के कोविड पॉज़िटिव पाये जाने एवं इसके लिए उपचार लेने में होने वाली अत्यधिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए,एसपीएमसीआईएल द्वारा सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों में इसका उपचार उपलब्ध नहीं होने या उपचार की दर सीजीएचएस दरों से अधिक होने के मामलों में गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार कराने पर भी विशेष मामला मान कर उपचार का भुगतान वास्तविक दरों पर किया जा रहा है। इसके अलावा, एसपीएमसीआईएल ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत एम्स दिल्ली सहित अन्य अस्पतालों को कोविड महामारी के उपचार के लिए वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा उपकरण प्रदान किए।

प्रकाश कुमार
उपमहाप्रबंधक(मा.सं.)

कोरोना के साथ जीवन जीने की चुनौती

कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन चुनौतियों से भरा होता है। प्रत्येक मनुष्य को जीवनयापन हेतु विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य अपनी क्षमतानुसार इन चुनौतियों में सफलता प्राप्त करता जाता है व पुनः जीवन को सामान्य अवस्था में ले आता है। परंतु जब जीवन सामान्य रूप से चल रहा हो और उस दौरान यदि कोई प्राकृतिक आपदा, महामारी, अन्तर्राष्ट्रीय संकट इत्यादि परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती हो तो इन परिस्थितियों के कारण मानव जीवन सामान्य रूप से व्यतीत करना एक कठिन चुनौती बन जाती है। ये परिस्थितियां व्यक्ति को शारीरिक रूप व आर्थिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर बना देती है। वर्तमान में कोरोना महामारी एक भयंकर अग्नि की भांति पूरे विश्व में फैलती जा रही है तथा लाखों, करोड़ों की संख्या में लोगों के जीवन को तबाह कर चुका है। हर व्यक्ति कोरोना वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी बना रहा है, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को पुनः अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न चुनौतियां-

अर्थव्यवस्था संबंधी चुनौती- कोरोना महामारी ने भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। चीन, अमेरिका जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में, वर्ल्ड बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 5% रह गई है तथा 2020-21 में अर्थव्यवस्था की दर भारी गिरावट के कारण यह दर 2.8% रह गई है। इस समय सरकार के सामने बेहद गंभीर चुनौती आ खड़ी हुई है। देश की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी परन्तु इस महामारी ने अर्थव्यवस्था को फिर से आरंभ की स्थिति में ला दिया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन का कहना है कि कोरोना महामारी एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट ही नहीं था अपितु यह एक आर्थिक संकट बन चुका है। इसी कारण विदेशी निवेश की संभावना भी न के बराबर ही है। इसके अतिरिक्त, वह व्यक्ति समूह जो मजदूरी करता है, फेरी वाला है, दिन की दहाड़ी में कार्य करके अपना घर चलाता है, उसे बेहद गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां – एक स्वस्थ समाज का विकास करने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसी कारण प्रत्येक देश अपनी आर्थिक उन्नति के साथ स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को भी उन्नत करने का प्रयास करता है। 2019 में चीन के वुहान से शुरू होने वाले कोरोना वायरस के कारण दुनिया के तमाम शहरों को महामारी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस नाम की इस महामारी को वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित किया जा चुका है। इस महामारी के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यशील चिकत्सकों व कर्मचारियों के समक्ष भी बेहद मुश्किल चुनौतियां है। संक्रमित मरीजों का इलाज आखिर इन्हीं के हाथों में है, परंतु 2021 में इस वायरस के कारण जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कमी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और चुनौती पैदा कर दी। हालांकि केंद्रीय सरकार द्वारा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की उचित व्यवस्था का प्रयास लगातार तेजी से किया जा रहा है। इस वैश्विक महामारी का निसंदेह भविष्य में भी नकारात्मक असर पड़ेगा। वर्तमान में कोरोना वायरस तीसरी लहर पर सवार होने वाला है, इसके अतिरिक्त देश में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोरोना वैक्सीन का कार्य भार भी संभाला जा रहा है। वैक्सीन अभियान को भी लक्ष्यानुसार पूर्ण करना एक विशेष चुनौती है। कोरोना वैक्सीन को ही कोरोना वायरस से बचने का सहारा माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही सामाजिक दूरी व मास्क का प्रयोग करना मुख्य रूप से आवश्यक है।

सामाजिक तथा नैतिक चुनौतियां-

इस महामारी ने व्यक्तियों के मध्य ऐसी सामाजिक दूरियां बना दी है, जिसके प्रभाव से आज प्रत्येक व्यक्ति अपने समक्ष आने वाले इंसान को भयातुर नज़रों से देखने लगा है। स्थिति इस क़दर उलझ गई है कि अपने सगे- संबंधियों के मृत्यु पर भी जाना सोच का विषय बन गया है। हर व्यक्ति स्वयं के बचाव में लगा है, अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वार्थी बनता जा रहा है। समाचारों के माध्यम से यह भी सामने आया है कि देश के कई लोगों द्वारा नकली इंजेक्शन, दवाईयां आदि का सप्लाई भी किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना बनाए रखना गंभीर चुनौती है। हालांकि ऐसे लोगों के बीच कुछ ऐसे व्यक्ति भी मौजूद है जो महामारी से परेशान लोगों को भोजन, कपड़ा, और छत का इंतजाम करा रहे है। लेकिन इन सामाजिक दूरियों ने लोगों के हृदय की दूरियों को भी बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस के कारण देश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, सामाजिकता तथा प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति का पुनः विकास करना सरकार के सामने तथा देश के प्रत्येक नागरिक के सामने एक चुनौती है। तथा इस चुनौती में सफलता प्राप्त करने के लिए सरकार तथा देश का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक है तथा प्रयासरत है।

अनुराग शर्मा
हिन्दी अनुवादक

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - प्रमुख बिन्दु

सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की जनता को सरकार से सूचना पाने का अधिकार देता है। 'सूचना प्राप्त करने का अधिकार' से सम्बन्धित विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया तथा इस विधेयक को 15 जून, 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर 12 अक्टूबर, 2005 को पूरे देश में लागू हुआ।

सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है:

- यह प्रशासन को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाता है।
- यह प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम करता है।
- यह जनता को प्रशासनिक निर्णय-निर्माण से अवगत कराता है।
- यह लोकसेवकों द्वारा जनता तक उत्पादों और सेवाओं को बेहतर ढंग से पहुँचाने में मदद करता है।
- यह प्रशासन की बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सकारात्मक आलोचना को आसान बनाता है।
- यह प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ाता है।
- प्रशासनिक निर्णय-निर्माण में स्वेच्छाचारिता को हतोत्साहित करके जनहित को प्रोत्साहित करता है।
- यह लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार के अवसरों को घटाता है।
- प्रशासन में खुलेपन और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर यह जनतंत्र की विचारधारा को आगे बढ़ाता है।
- यह प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।

सूचना की प्राप्ति का तरीका

सूचना के अधिकार कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में जन/लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के पद का प्रावधान है। आरटीआई आवेदन इनके पास जमा करना होता है। आवेदन के साथ केंद्र सरकार के विभागों के लिए 10 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ता है। हालांकि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग शुल्क निर्धारित हैं। यह शुल्क विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग हैं। आवेदन शुल्क नकद, डीडी, बैंकर चेक, पोस्टल आर्डर या ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है।

सूचना मिलने की तय सीमा

सूचना के अधिकार की खासियत ही यही है कि एक तय समय के भीतर ही सूचना देनी होती है। आवेदन देने के 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए। यदि आवेदन सहायक पीआईओ को दिया गया है तो सूचना 35 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बंधित है, तो उसको 48 घंटे के अंदर सूचना मिल जानी चाहिए।

सूचना देने में यदि देरी दी गई की जाती है या सूचना की प्राप्ति से सूचना लेने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो अधिनियम के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक अपील दायर की जा सकती है। सूचना प्राप्ति के 30 दिनों और आरटीआई अर्जी दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर प्रथम अपील दायर की जा सकती है और यदि सूचना लेने वाला व्यक्ति फिर भी सूचना से संतुष्ट नहीं है तो द्वितीय अपील भी कर सकता है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाओं को नागरिकों को प्रकट किए जाने से छूट हैः

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने की उद्दीपन होता हो;
(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती है;
(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का हनन होता हो;
(घ) सूचना, जिसमे वाणिज्यिक विश्वास, व्यापर गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक की सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है की ऐसी सुचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;
(ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक की सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;
(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास पे प्राप्त सूचना;
(छ) सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गयी किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा;
(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पैदा हो;
(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमे मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारीयों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं;
(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक की, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है ।

सूचना न देने वाले के खिलाफ कार्रवाई

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 के मुताबिक अगर कोई लोक सूचना अधिकारी दुर्भावनापूर्वक कोई जानकारी देने से इनकार करता है या गलत जानकारी देता है या आधी-अधूरी जानकारी देता है या फिर किसी जानकारी को देने से बचने के लिए दस्तावेज को नष्ट करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी सूचना निर्धारित समय पर नहीं देता है, तो उस पर 250 रुपये रोजाना की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की यह राशि 25 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा केन्द्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकते है।

नवीन डोगरा
कार्यालय सहायक

एसपीएमसीआईएल की सीएसआर गतिविधियां

भारतीय शास्त्रों में कई स्थानों पर गरीबों और जरूरतमंदों के साथ अपनी कमाई साझा करने के महत्व का उल्लेख किया गया है। भारत में धर्म और समाज के विकास के लिए आय का हिस्सा दान करने की संस्कृति भी काफी पुरानी है। संयोग से भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अप्रैल 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के बाद कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) को अनिवार्य बनाया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 2% सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाता है। यह राशि शिक्षा, गरीबी, लैंगिक समानता और भूख, स्वास्थ्य, पर्यावरण की सुरक्षा, प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को वित्त पोषण, खेल के विकास आदि जैसे क्षेत्रों में सदुपयोग किया जाता है । इसके अलावा देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा स्थापित निधियों में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान किया जाता है।

इस नीति में पूर्व के नियमों के अंतर्गत यदि कोई कंपनी किसी दिए गए वर्ष में अपने सीएसआर फंड को पूरी तरह से खर्च करने में असमर्थ रहती थी, तो वह उस राशि को अगले वर्ष के लिए आवंटित धन में जोड़कर खर्च कर सकती थी। परंतु 22 जनवरी, 2021 से लागू सीएसआर के संशोधित नियमों के अनुसार कंपनियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के अंदर को अव्ययित राशि (चल रही परियोजनाओं की राशि) को एक अलग खाते में जमा करने की आवश्यकता है, जिसे "चालू परियोजनाओं के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि" शीर्ष में रखा जाता है। बैंक में रखी गई राशि को तीन वर्ष की अवधि में भी व्यय नहीं किया जाता है तो इसे अगले वित्त वर्ष में 06 माह के अंदर अनुसूची VII में निर्धारित सरकारी निधियों में स्थानांतरित करना अनिवार्य है। अगर कंपनी वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर के लिए आबंटित राशि का व्यय करने में असमर्थ रहती है तो उस राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के अंदर अधिनियम की अनुसूची VII में दिये गए निधियों में जमा किया जाएगा ताकि सरकार उस राशि का सामाजिक कार्यों के लिए व्यय कर सके। सरल शब्दों में सीएसआर के लिए निर्धारित राशि को खर्च करना ही होगा या अलग खाते में ट्रांसफर करना होगा। कंपनियां उक्त राशि का उपयोग व्यवसाय के लाभ के लिए नहीं कर सकती हैं।

संशोधित नियमों में प्रावधान है कि कंपनी को एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी होगी जिसे अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में, ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन के तरीके, धन के उपयोग के तौर-तरीकों, कार्यान्वयन और लागू करने के लिए अनुमोदित करना होगा।

कंपनी या तो स्वयं या आयकर अधिनियम की धारा 12 ए और 80 जी के तहत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों का निष्पादन करेगी। ऐसे सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, जिन्हें इस प्रकार के कार्यक्षेत्र में कम से कम तीन साल का कार्य अनुभव हो, का चयन किया जाता है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार की कंपनियों को 1 अप्रैल 2021 से इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी रजिस्ट्रार के साथ सीएसआर फॉर्म -1 भरकर केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत कराना अनिवार्य है। सीएसआर निधि से सृजित सम्पत्तियों के अधिग्रहण की तारीख, लाभार्थियों का नाम, स्थान और पता जहां परिसंपत्ति स्थित है, का खुलासा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में करना आवश्यक है।

नए संशोधन के अनुपालन न होने के मामले में वित्तीय दंड के साथ-साथ कारावास का भी प्रावधान है। इसके लिए जुर्माना 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक है, कंपनी के चूककर्ता अधिकारी को तीन साल तक की कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

भारत सरकार द्वारा सीएसआर पर 2018 में गठित उच्च स्तरीय समिति ने उल्लेख किया है कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक निर्धारित सीएसआर 1,02,993.49 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि वास्तविक सीएसआर खर्च 69576.93 करोड़ रुपये था, इस प्रकार सीएसआर 32.27% राशि अव्ययित रही। वार्षिक सीएसआर निर्धारित राशि में 10.11% की औसत वृद्धि हुई है, जो सीएसआर निर्धारित फंड के विकास का एक स्वस्थ संकेत है। यह कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास के लिए एक गैर-घटते स्रोत और जरूरतमंदों के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है। संशोधित प्रावधान, निगरानी एजेंसियों को सही मायने में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों का अनुपालन राशि को पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे।

एसपीएमसीआईएल ने अपनी स्थापना के बाद से ही अनिवार्य सीएसआर खर्च से अधिक खर्च किया है। एसपीएमसीआईएल ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित सभी पहलुओं के तहत जरूरतमंदों के लिए शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल, महामारी के कारण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, सुरक्षित पेय प्रदान करने के लिए आधुनिक आधारभूत संरचना प्रदान करके व्यय किया है। एसपीएमसीआईएल इकाइयों में और उसके आसपास जरूरतमन्द समुदायों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार के अलावा स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा, पीएम राहत कोष आदि जैसी अखिल भारतीय प्रतिष्ठित परियोजनाओं में योगदान के अलावा केयर्स फंड में भी अंशदान दिया है।

परिणामस्वरूप कंपनी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 42.88 करोड़ रुपये के सीएसआर के लिए निर्धारित अनिवार्य खर्च के मुकाबले 43.86 करोड़ रुपये की सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा विभिन्न कार्यक्षेत्रों जैसे ईक्विपमेंट फॉर हैल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर पर रुपये 17.17 करोड़, शिक्षा पर रुपये 10.42 करोड़, ग्रामीण विकास पर रुपये 1.62 करोड़, पर्यावरण संरक्षण पर रुपये 1.44 करोड़, वृद्धाश्रम पर रुपये 43 लाख, बच्चों के लिए पोषक आहार पर रुपये 1.26 करोड़, महिला व बाल सशक्तिकरण पर रुपये 1.1 करोड़, अटल इंकुबेशन (सीसीएमबी) पर 2.31 करोड़, पीएम केयर फ़ंड पर रुपये 04 करोड़, प्रधान मंत्री राहत कोष पर रुपये 2.39 करोड़, खेल प्रोत्साहन कोष पर रुपये 1 करोड़, सशस्त्र बल कल्याण कोष पर रुपये 75 लाख, विविध पर रुपये 1 करोड़ आदि पर व्यय किया गया है।

विनोद कुमार शर्मा
परामर्शदाता, सी एस आर

योग एक स्वस्थ जीवन शैली

"योग करने का लो संकल्प, स्वस्थ जीवन शैली का यही विकल्प"

परिचय:- 'योग' शब्द की उत्पत्ति 'संस्कृत' के युज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जोड़ना, एकीकरण करना या बांधना होता है। योग एक ऐसी क्रिया है, जो न सिर्फ मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने मे उसकी मदद करती है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में भी सहायक होती है। योग के द्वारा कोई भी व्यक्ति पूर्ण: रूप से निरोगी बन सकता है एवं सफल, स्वस्थ और शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। कोविड के इस दौर में अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए योग का महत्व और अधिक बढ़ गया है। वर्ष 2021 के लिए सयुंक्त राष्ट्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम – योग के साथ रहे, घर पर रहे, दी गई है। इस वर्ष कोविड -19 महामारी के चलते लोगों को ऐसी थीम दी गयी है जो सेहत और स्वस्थ को बढ़ावा दे ।

महत्व:- गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है – " योग: कर्मसु कौशलम" अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं मे संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। मनुष्य की जीवन शैली को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखने में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से सम्पूर्ण विश्व त्रस्त है, ऐसे समय में भी लोग अनुलोम-विलोम, प्राणायाम जैसी योग विधियों के माध्यम से अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो, या फिर मानसिक तनाव हो, इन सभी को बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के ठीक करने में योग एक बेहतर विकल्प है, जिसे सम्पूर्ण विश्व द्वारा स्वीकारा जा रहा है।

योग के बारे में स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने कहा है – "योग कोई प्राचीन मिथक नहीं है। यह प्राचीन की सबसे बहुमूल्य विरासत है। यह आज की आवश्यकता है और कल की संस्कृति ! "योग की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूनेस्को द्वारा 2016 में यूनेस्को द्वारा योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित किया जा चुका है।

चुनौतियां:- वर्तमान में कई असमझ लोग योग को एक धर्म मानने लगे हैं , लेकिन ऐसे लोगों को कौन समझाये कि योग कोई धर्म नहीं है बल्कि जीने की एक कला है। योग एक ऐसा अभ्यास है जिसे सीखने के बाद हमारा जीवन सफलताओं की राह पर चलेगा, क्योंकि योग हमारे जीवन के एक-एक पल का मार्गदर्शन करता है। आखिरकार आज समाज में बहुत से लोगों को इसका पता चल भी चुका है कि योग हम मनुष्यों के लिए कितना लाभदायक है। योग को लेकर राज्य सरकार की नीति का स्पष्ट न होना भी एक प्रमुख चुनोती है। भारत में योग को लेकर जन जागरूकता की भी कमी है। आज भी देश में योग से संबन्धित शिक्षकों तथा बुनियादी सुविधाओं का आभाव है जिसका नतीजा यह है कि योग आम जनता की पहुँच से दूर होता जा रहा है।

सरकारी प्रयास :- विश्व स्तर पर सर्वप्रथम वर्ष 2015 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था । सयुंक्त राष्ट्रीय महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग की महत्ता से विश्व को अवगत कराया तथा इसके बाद सयुंक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस/विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता दी । सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत अच्छी सेहत को बढ़ावा देने के उदेश्य से स्कूल और कार्यस्थलों में योग अभ्यास को शामिल किया गया । आयुष मंत्रालय ने योग प्रशिक्षिकों के सर्टिफिकेट को तथा योग संस्थाओं को मान्यता देने के लिए योग प्रमाणीकरण बोर्ड का गठन किया । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(UGC) ने 6 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग का गठन किया गया है। हाल ही में सरकार ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार की शुरुआत की जिसके तहत योग के क्षेत्र में दो राष्ट्रीय तथा दो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों का ऐलान किया गया।

आगे की राह:- अत: यह स्पष्ट है कि योग एक विज्ञान है तथा यह स्वास्थकर जीवन जीने का माध्यम है। पिछले दो दशकों में जिस तरह से बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर और अभिजीत श्रीधर समेत विभिन्न योग प्रचारकों ने योग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक उसी तरह की भूमिका योग गुरुओं, शिष्यों और संस्थानों को भी निभाने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:- योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता, जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, लौ उतनी ही उज्ज्वल होगी।

सचिन शर्मा
क. कार्यालय सहायक

धर्म और मानवता

दर्शन का अल्पज्ञान इंसान को नास्तिकता की ओर ले जाता है, लेकिन दार्शनिकता में उतरने पर मन अपने आप धर्म की ओर खिंचा चला आता है। धर्म को तो हमें इस तरह देखना है कि क्या यह मूल्यों को सुरक्षित रखता है, जीवन को सार्थक बनाता है और हमारे अंदर साहसिक कार्यों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करता है? इसकी जड़ें भावना, संकल्प शक्ति या बुद्धि की अपेक्षा मनुष्य की आत्मा में अधिक गहरी गई हुई हैं। अनंत की अनुभूति धर्म का आधार है। यह अनुभूति, आँखे जो देखती हैं और कान जो सुनते हैं उनसे संतुष्ट नहीं होती। समय मूल्यवान है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मूल्यवान है सत्य। इस सत्य को खोजना भी धर्म है।

एकांत में हम अपने साथ जो व्यवहार करते हैं, उसी का नाम धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक छुपा हुआ देवालय है, जहां कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। इस मंदिर में हमें प्रवेश करना चाहिए, जो हमारे उस बाहरी स्वरूप से बिल्कुल अलग है, जो हम बाहर की दुनिया के सामने प्रकट करते हैं। व्रतों और प्रार्थनाओं का नाम पूजा नहीं है। शांति और ध्यान ही सारी पूजा का सार है। अपने चारों ओर फैली अव्यवस्था के बीच ही हमें अपने भाग्य का निर्माण करना होगा, नहीं तो हमारा जीवन विसंगति और निरुद्देश्य घटनाओं का एक अर्थहीन क्रम बन जायेगा। जीवन में तभी सार्थकता आती है जब हम उन बाधाओं में, जो इसकी बुद्धि के अवरोधक हैं, एक विशेष उद्देश्य का अनुसरण करते हैं।

हम योग्य शिष्य बनेंगे अगर हम प्रश्न करें, इसलिए जीवन में प्रश्न करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा शिक्षक भगवद्गीता के कृष्ण की तरह है, जो अर्जुन को अपने लिए सोचने और अपनी इच्छानुसार निर्णय लेने की शिक्षा देता है। जीवन में परेशानियों को मत कोसो। कष्ट से ही हम अपने को और दूसरों को समझ पाते हैं। सच्चे जीवन की शर्त है-कष्ट, सहिष्णुता और एकांत चिंतन। केवल बाहरी रूप से जीवन जीने वाले लोग जो आत्मा की गहराइयों में नहीं गए हैं, इस कष्ट से बच सकते हैं। जब हमें कोई बड़ा मानसिक आघात पहुंचता है, जब भयग्रस्त, परेशान और पराजित होकर जीवन की निराश घड़ियों का सामना करते हैं, तब जीवन में उम्मीद की दरकार होती है। धर्म, दर्शन, कष्ट ये गुंथे हुए हैं, एकांत में बैठकर इन सवालों के जवाब खोजिये।

कामाख्या शर्मा,
युवा प्रोफेशनल (विधि)

साइबर सुरक्षा क्या है?

साइबर सुरक्षा कंप्यूटर, और नेटवर्क को साइबर आक्रमण से दूर रखने का तरीका है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क में उपलब्ध किसी भी प्रकार की सूचनाओं और डाटा को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। साइबर सुरक्षा एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें कई प्रकार के जोखिम प्रबंधन, टूल, प्रशिक्षण, अभ्यास और तकनीक लगती है। इन सारी वस्तुओं को एक साथ रख कर ही साइबर सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम किया जाता है। प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा लगातार अभ्यास और नवीन तकनीक पर अनुसंधान से साइबर सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है।

साइबर सुरक्षा की जरूरत क्यों है?

आज के दौर में सभी काम कंप्यूटर और मोबाइल की मदद से होते हैं। छोटे से व्यवसायी से लेकर बड़े व्यवसायी और एक व्यक्ति से लेकर एक देश की सरकार तक हर कोई अपनी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं के रुप में रखता है और जब भी आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ते हो तो ये डाटा भी इंटरनेट का भाग खुद ही बन जाता है।

1. इंटरनेट पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति उन जानकारियों और डाटा तक पहुँचाने का प्रयास कर सकता है। ये डाटा और सूचनाआपके लिए कितनी कीमती हैं? ये सिर्फ आप जानते हो। आपकी निजी तस्वीरें और वीडियो भी इस डाटा में हो सकती हैं जिसका गलत इस्तेमाल होने की पूरी संभावनाएँ होती हैं। इस सब से बचने के लिये आपको साइबर सुरक्षा आपकी मदद करता है।

2. हमारे बैंकिंग और वित्तीय डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी साइबर सुरक्षा बहुत जरुरी है क्योंकि अगर हमारा बैंकिंग डाटा सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई भी हैकर हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी साइबर सुरक्षा बहुत जरुरी है। आजकल हमारे देश के रक्षा प्रणाली में भी साइबर अटैक होते हैं।

4. कुछ ऐसे डाटा या इनफार्मेशन भी होते हैं जो बहुत आवश्यक और संवेदनशील होते है जैस आजकल सरकारी दफ्तरों में भी ज्यादातर काम इन्टरनेट के द्वारा ही किया जाता है।

साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं

1. हैकिंग : इस प्रकार के साइबर अटैक में हैकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस कर किसी दूसरे इंसान के पर्सनल डाटा और संवेदनशील इनफार्मेशन को एक्सेस करते हैं बिना उस इंसान के अनुमति के।

2. साइबर चोरी: इस प्रकार के साइबर अपराध में हैकर किसी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करता है, यह साइबर अपराध का एक हिस्सा है जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से की गई चोरी। इसके अंतर्गत पहचान की चोरी, पासवर्ड की चोरी, सूचना की चोरी, इंटरनेट समय की चोरी आदि शामिल है।

3. साइबर स्टाकिंग: यह साइबर अपराध सोशल मीडिया साइट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें स्टॉकर किसी इंसान को बार-बार गंदे मेसेज या ईमेल कर के उसे परेशान और उत्पीड़ित करते हैं।

इसमें वे अक्सर छोटे बच्चों और ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिन्हें इन्टरनेट की ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इसके बाद स्टॉकर उस इंसान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं इससे इंसान की ज़िन्दगी काफी तकलीफदायक हो जाती है।

4. आइडैनटिटि चोरी : इस प्रकार का साइबर अपराध आजकल काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें हैकर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो ऑनलाइन नकद लेनदेन और बैंकिंग सर्विस जैसे गूगल पे, फोनपे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं।
हैकर्स किसी इंसान का पर्सनल डाटा जैसे अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड डिटेल, इन्टरनेट बैंकिंग डिटेल्स आदि जानकारी किसी तरह से हासिल कर के उसका सारा पैसा निकाल लेते हैं जिससे उस इंसान को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है।

5. मेलिशियस सॉफ्टवेर: ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेर हैकर द्वारा बनाए जाते हैं जो किसी भी इन्टरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर या मोबाइल के डेटा को न सिर्फ चुरा सकते हैं बल्कि उसे डिलीट भी कर सकते हैं, साथ ही इन सॉफ्टवेर की मदद से हैकर आपके पूरे सिस्टमको क्रैश कर सकते हैं. ये सॉफ्टवेर कई प्रकार के होते हैं जैसे मैलवेयर, स्पाइवेयर, वायरस, रैंसमवेयर तथा वॉर्मस। .
हैकर्स इस प्रकार के सॉफ्टवेर को ज्यादातर किसी लिंक, पॉप अप मेसेज या ईमेल के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं और लुभावने तरीकों से लिंक को टच करने को बोलते हैं। अगर वह इंसान लिंक पर टच कर देता है तो कंप्यूटर का पूरा कन्ट्रोल हैकर के हाथों में चला जाता है।

6. फ़िशिंग : इस प्रकार के साइबर अटैक में हैकर किसी विश्वसनीय संस्था या बैंक के रूप में किसी इंसान को कोई मेसेज या ईमेल भेजता है जो देखने पर बिलकुल मान्य लगता है। इसके पीछे हैकर का मकसद उस इंसान की संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड आदि जानकारी लेकर उसे आर्थिक नुकसान पहुँचाना होता है।

7. मैन इन द मिडल अटैक: इस प्रकार के साइबर अटैक में जो अटैक करने वाला हैकर होता है वह दो लोगों के संचार की जासूसी करता रहता है और कुछ समय बाद उन दो लोगों में से एक बन कर सामने वाले से जरुरी इनफार्मेशन, और संवेदनशील डेटा जैसे बैंक, डेबिट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आदि माँगता हैं। इससे सामने वाले इंसान को पता भी नहीं चलता और हैकर के पास सारी इनफार्मेशन आ जाती है।

अरूण कुमार गुलिया
उप महाप्रबंधक(सू.पौ.)

वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा अपनी आयकर विवरणिका भरते समय की जाने वाली एक साधारण भूल

वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा आईटीआर दाखिल करने में एक साधारण भूल सकल कुल आय में सभी बचत बैंक खातों पर ब्याज को शामिल नहीं करना है। मार्च, 2021 में, आयकर विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सकल कुल आय में बचत बैंक खाते पर ब्याज नहीं जोड़ने के लिए करदाताओं को नोटिस भेजे गए थे। बचत बैंक खाते पर ब्याज फॉर्म 26AS में परिलक्षित नहीं होता है, जिसमें बैंकों द्वारा केवल सावधि जमा पर ब्याज दर्शाया जाता है। इसलिए, अक्सर वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा अपने आईटीआर में बचत बैंक खाते पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाता है।

आयकर अधिनियम के अनुसार, बचत बैंक खाते में मिलने वाला ब्याज "अन्य स्रोतों से आय" मद के तहत करयोग्य है। इसके अलावा, धारा 80TTA, ऐसी ब्याज आय पर 10000 रुपये तक की कटौती का प्रावधान करती है। आइये इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए, श्रीमान X के तीन अलग-अलग बैंकों में बचत बैंक खाते हैं। बैंक A, बैंक B और बैंक C। बैंक A द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया गया ब्याज रु 4500/-, बैंक B रु. 1400/- और बैंक C रु. 7400/-. उपरोक्त के अनुसार श्रीमान X को बचत बैंक खाते पर रु. 13300/- (अर्थात रु. 4500/- + रु. 1400 + रु. 7400) अन्य स्रोतों से आय के रूप में उसकी सकल कुल आय में दर्शाना अनिवार्य है। इसके अलावा, धारा 80TTA के अंतर्गत कटौती के तहत, श्रीमान X को रुपये 10,000/- की देय कटौती राशि का दावा करना चाहिए अर्थात 10000/- रुपये या अर्जित ब्याज की राशि जो भी कम हो। इसलिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने सभी बैंक स्टेटमेंट / पासबुक की जांच करें और संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा दिए गए कुल ब्याज का योग करें और उस राशि को सकल कुल आय में जोड़ें और धारा 80TTA के तहत कटौती का दावा भी करें।

प्रवीण गुप्ता
उप महाप्रबंधक (वि. एवं ले.)

चरैवेति-चरैवेति

हमें अर्जुन की तरह एक लक्ष्य लेकर कार्य करना चाहिए क्योंकि आत्मविश्वास एवं लक्ष्य लेकर कार्य करने से हमें सफलता जरूर मिलती है चाहे वह देर से मिले पर मिलती जरूर है। व्यक्ति को आत्मनिर्भर होकर कार्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति नियमित रूप से कार्य करें तो देश समाज का विकास होता है। हमें देश एवं समाज के विकास के लिए नई नई खोज करनी चाहिए ताकि देश सर्वोच्च शिरोमणि हो जाए कोई फेल हुआ है, तो उसे घबराना नहीं चाहिए बल्कि अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। जीवन में एक सबक मिलता है। इस सब के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। यह हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। इसमें घबराना नहीं चाहिए जैसे चरेवेति चरेवेति चरेवेति निरंतरम अर्थात हमें सदैव चलते रहना चाहिए रुकना नहीं चाहिए। चलना विकास एवं उनकी पहचान होती है और रुकना अवंती की पहचान है। आज के युग में प्रतियोगिता बहुत है। इन प्रतियोगिताओं से हमें घबराना नहीं चाहिए। मेहनत विवेक बुद्धि करके आगे बढ़ना चाहिए हमें कार्य करते समय उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक अधूरा कार्य पूरा हो जाए हम तभी दूसरा कार्य कर सकते हैं। जब तक पहला कार्य पूर्ण हो जाए इस प्रकार का कार्य करने से अपने आपको भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है अर्थात कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करें फल की अपेक्षा करते हुए कर्म करना कदापि उचित नहीं है।

आप अपने स्वार्थ को कार्य का आधार न बनाए निस्वार्थ भावना से अपने घर समाज देश के लिए सेवा करना मानव का सच्चा धर्म है। सदैव जनहित के लिए कार्य करना अपने साथियों को प्रोत्साहन प्रोत्साहित करना चाहिए । कार्यालय में समय पर आगमन प्रस्थान कर आप अपने साथियों के लिए आदर्श स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा अपने कार्य में रुचि लेकर उसे आगे बढ़ाना प्रत्येक का लक्ष्य होना चाहिए । कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों से घबराकर कार्य के विमुख नहीं होना चाहिए। अपने परिजनों से इस बारे में बातचीत कर समाधान निकालना अनिवार्य है। कार्य के बदलते परिवेश के अनुसार स्वयं को ढ़ालना एक सफल कार्मिक की पहचान है। कोई कार्य ऑनलाइन करना एक नई प्रक्रिया है, नई चुनौती है, जिसे अपनाकर आप स्वयं भी सुरक्षित रह सकते हैं तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं।

जगदीश प्रसाद
वरिष्ठ पर्यवेक्षक बुलियन

फ्यूज बल्ब

हाउसिंग सोसाइटी में एक बड़े अफसर रहने के लिए आए, जो अभी सेवानिवृत हुये थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड अफसर, हैरान परेशान से, रोज़ शाम को सोसाइटी के पार्क में टहलते हुए , अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे ओर फिर लगातार बैठने लगे । उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था। मैं इतना बड़ा अफसर था की पूंछों मत, यहाँ तो मै मजबूरी मे आ गया हूँ, इत्यादि इत्यादि.. और वह बुजुर्ग शांति पूर्वक उनकी बातें सुना करते थे । एक दिन जब सेवानिवृत्त अफसर की आंखो मेन कुछ प्रश्न कुछ जिज्ञासा दिखी तो बुजुर्ग ने ज्ञान दे ही डाला। उन्होने समझाया – रिटायरमेंट के बाद हम सब एक फ्यूज बल्ब जैसे है, कौन कितने वाट का था, उससे कितनी रोशनी होती थी, जगमगाहट होती थी, फ्यूज होने के बाद मायने नहीं रखता। फिर वो बोले की मै सोसाइटी में पिछले ५ वर्ष से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया की मै दो बार संसद सदस्य रह चुका हूँ, वे जो वर्माजी हैं रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सिंह साहब सेना मे ब्रिगेडियर थे, वो मेहरा जी इसरो मे चीफ़ थे, ये बात भी उन्होने किसी को नहीं बताई है, मुझे भी नहीं पर मै जानता हूँ। सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं चाहे ० वाट का हो ४०, ६०, या १०० वाट, हेलोजन या फ़्लड- लाइट का हो कोई रोशनी नहीं – कोई उपयोगिता नहीं, यह बात आप जिस दिन समझ लेंगे, आप शांतिपूर्वक समाज मे रह सकेंगे। उगते हुये सूर्य को जल चढ़ा कर पूजा करते हैं, डूबते सूरज को नहीं, यह बात जितनी जल्दी समझ मे आएगी, उतनी जल्दी जिंदगी आसान हो जाएगी।

गुरुदेव का हिन्दी प्रेम

प्रख्यात पत्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी शांति निकेतन मे दीनबंधु एंड्रूज़ के पास ठहरे हुये थे। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर वहाँ आए। चतुर्वेदी जी को देखकर बोले, मैं अंग्रेज़ी तथा बंगला में लिखता हूँ।यदि आप मुझे हिन्दी सीखा दें तो हिन्दी में कम से कम एक पुस्तक अवश्य लिखना चाहता हूँ। चतुर्वेदी जी दूसरे दिन गुरुदेव से सैर के समय मिले। वे शाल के वृक्षों के नीचे टहल रहे थे। चतुर्वेदी जी ने अंग्रेज़ी मे कुछ पूछ लिया, गुरुदेव बोले, मैं आपसे हिन्दी सीखना चाहता हूँ और आपने मुझसे अंग्रेज़ी मे प्रश्न क्यों पूंछा ? हिन्दी या बांग्ला मे पूंछते। हिन्दी मे लिख नहीं सकता, किन्तु समझता तो हूँ। चतुर्वेदी जी ने कहा आप मुझे बांग्ला पढ़ायें, मैं आपको हिन्दी पढ़ाऊंगा। यह सुनते ही गुरुदेव ने जोरदार ठहाका लगाया। वह बोले, देश स्वाधीन अवश्य होगा, तब हमें हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए। विदेशी भाषा को लादे रहना अच्छा नहीं होगा। महाकवि गुरुदेव ने उसी दिन हिन्दी सीखना और बनारसी दास जी को बांग्ला सिखाना शुरू कर दिया।

(कैलाश चन्द अग्रवाल)
सलाहकार (सेक्रेटरियल सर्विसेस)
निदेशक (वित सचिवालय)

कबीर के दोहे - भावार्थ सहित

कबीर गुरू गोविंद दोउ खड़े, काके लागू पाँय।
बलिहारी गुरू आपने, गोविंद दियो मिलाय।।

भावार्थ: कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए।

यह तन विष की बेलरी, गुरू अमृत की खान।
शीश दियो जो गुरू मिले, तो भी सस्ता जान।।

भावार्थ: कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान हैं। अगर अपना शीश सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है।

सब धरती काजग करू, लेखनी सब वनराज।
सात समुद्र की मसि करूँ, गुरू गुण लिखा न जए।।

भावार्थ: अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनियां के सभी वृक्षों की कलम बना लूँ और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूँ तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है।

ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खाये।
औरन को शीतल करे, आपहुं शीतल होए।।

भावार्थ: कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुँचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है।

बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।
पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।।

भावार्थ: कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूरऊँचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है।

निंदक नियेरे राखिये, आँगन कुटी छावायें।
बिन पानीसाबुन बिना, निर्मल करे सुहाए।।

भावार्थ: कबीर दास जी कहते हैं कि निंदकहमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्यूंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयाँ आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं।

गणेश शर्मा
पर्यवेक्षक सूर्पो

हिन्दी वर्णमाला का क्रम से कवितामय प्रयोग-सराहनीय है।

अ चानक
आ कर मुझसे
इ ठलाता हुआ पंछी बोला
ई श्वर ने मानव को तो
उ त्तम ज्ञान-दान से तौला
ऊ पर हो तुम सब जीवों में
ऋ ष्य तुल्य अनमोल
ए क अकेली जात अनोखी
ऐ सी क्या मजबूरी तुमको
ओ ट रहे होंठों की शोख़ी
औ र सताकर कमज़ोरों को
अं ग तुम्हारा खिल जाता है
अ: तुम्हें क्या मिल जाता है.?
क हा मैंने- कि कहो
ख ग आज सम्पूर्ण
ग र्व से कि- हर अभाव में भी
घ र तुम्हारा बड़े मजे से
च ल रहा है
छो टी सी- टहनी के सिरे की
ज गह में, बिना किसी
झ गड़े के, ना ही किसी
ट कराव के पूरा कुनबा पल रहा है
ठौ र यहीं है उसमें
डा ली-डाली, पत्ते-पत्ते
ढ लता सूरज
त रावट देता है
थ कावट सारी, पूरे
दि वस की-तारों की लड़ियों से
ध न-धान्य की लिखावट लेता है
ना दान-नियति से अनजान अरे
प्र गतिशील मानव
फ़ रेब के पुतलो
ब न बैठे हो समर्थ
भ ला याद कहाँ तुम्हें
म नुष्यता का अर्थ.?
य ह जो थी, प्रभु की
र चना अनुपम...
ला लच-लोभ के
व शीभूत होकर
श र्म-धर्म सब तजकर
ष ड्यंत्रों के खेतों में
स दा पाप-बीजों को बोकर
हो कर स्वयं से दूर
क्ष णभंगुर सुख में अटक चुके हो
त्रा स को आमंत्रित करते
ज्ञा न-पथ से भटक चुके हो।

अंग्रेजी के वर्णमाला का बहुत कुछ पढ़ा है, पहली बार हिंदी में सुंदर प्रयोग है.

प्रिंसी भाटिया
पर्यवेक्षक (आर.एम.)

कोरोना बीमारी की दूसरी लहर का वह एक माह (15 अप्रैल से 15 मई 2021) हम सभी भारतवासियों कें ज़हन में हमेशा बुरे सपने जैसा हमेशा यादगार रहेगा। हम सभी ने अपने रिश्तेदारों, परिजनों, दोस्तों व जान–पहचान वालों में किसी न किसी को इसमें तड़पते देखा है, एक–एक सांस के लिए लड़ते देखा है, अस्पतालों में बिस्तर न मिलने पर अस्पताल प्रशासन से परिजनों को लड़ते देखा है। WhatsApp ग्रूप में लोगों से आक्सीजन सिलेन्डर व दवाओं को खोजते देखा है।

इसी कोरोना काल में मैंनें भी अपने बड़े भाई के समान, प्रिय दोस्त, श्री मोहम्मद इश्तियाक, पर्यवेक्षक (RM), कर्मचारी संख्या 326, को खोया है। इश्तियाक भाई का और मेरा साथ लगभग 13 साल पुराना था। हमारी पहली मुलाकात निगम मुख्यालय में ही वर्ष 2008 में हुई जब उन्होनें निगम मुख्यालय ज्वाइन किया था। बात–चीत पर पता चला कि वह भी मेरे शहर इलाहाबाद (जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है) से हैं। हम लोगों का साथ न केवल कार्यालय तक था बल्कि हमारा सरकारी आवास भी आमने–सामने रहा। एक ही शहर के होने की वजह से हमारी जान पहचान और बढ़ी और फिर दोनों के परिवारों के बीच भी जान पहचान बढ़ने लगी। हम एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में काम आते थे। आफिस साथ आना–जाना, साथ लंच और साथ ही नमाज़ के लिए जाना होता था। कार्यस्थल ही नही बल्कि पारिवारिक सम्बन्ध भी घनिष्ट थे। दो पहिया हो या कार, मैनें उनसे ही चलाना सीखा। प्रतिदिन की भांति दिनांक 09 अप्रैल 2021 शुक्रवार को हम साथ आफिस आये, साथ लंच किया और साथ ही नमाज़ पढ़ने गये और वापस घर भी साथ आये। हम दोनों इस बात से अन्जान थे कि यह दिन उनका इस कार्यालय में आखिरी दिन होगा और दुबारा इश्तियाक भाई के साथ मैं कभी कार्यालय नहीं आ पाऊँगा। रविवार दिनांक 11 अप्रैल 2021 को उनको अचानक से ठण्ड लगने लगी। मैं तुरन्त उनको कैलाश अस्पताल में डाक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवा दे दी व कोरोना जांच करने के लिए बोला। अगले दिन दिनांक 12 अप्रैल को रिपोर्ट पॉजिटिव आयी। सोमवार के दिन ही ओपीडी में डॉक्टर को दिखाया और फिर उनका ईलाज शुरू हो गया। धीरे–धीरे उनकी तबियत बिगड़ती चली गई।

डॉक्टर ने उनको भर्ती होने के लिए बोला परन्तु अस्पताल में बिस्तर न होने की वजह से वह भर्ती नहीं हो सके और डॉक्टर ने कहा कि घर से ही ईलाज जारी रखे। फिर उनको धीरे–धीरे सांस लेने की दिक्कत होने लगी। डॉक्टर ने सलाह दिया कि उनको तुरन्त ऑक्सीजन पर रखे। दिन भर प्रयास के बाद रात करीब 12 बजे जाकर उनके लिए आक्सीजन सिलेन्डर का इंतेज़ाम हो सका। उसी दिन दिल्ली में लॉकडाउन भी लग गया। तबियत में सुधार न होने की वजह से डाक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने को कहा, पर पूरे दिल्ली व नोएडा में अस्पताल में कहीं भी बिस्तर नही मिला। हमारी हर कोशिश नाकाम रही। फिर हमारे निदेशक (वित्त) महोदय की मदद से नोएडा के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया और बाद में दिनांक 20 अप्रैल 2021 को उनको अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में शिफ्ट किया। अपोलो में भर्ती करने के बाद हम सभी नें एक राहत की सांस ली और हम आश्वस्त हो गये कि अब वह ठीक हो जायेगें। एक दो दिन बाद उनकी तबियत में भी सुधार आया। लेकिन फिर अचानक से उनकी तबियत बिगड़ती चली गयी और दिनांक 29 अप्रैल 2021 को प्रातः 5 बजे के आसपास उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने अपने बड़े भाई समान दोस्त को खो दिया। उस दिन मानो उनके हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनके देहान्त की सूचना पा कर मैं अन्दर से एकदम टूट गया था। मेरे लिये यह एक सदमे जैसा था।

सिर्फ 20 दिनों के अन्दर चलता फिरता आदमी बीमार होता है और फिर इस दुनिया को अलविदा कह कर हम सभी को छोड़कर चला जाता है। इश्तियाक भाई एक नेक इन्सान थे व हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी कमी हम सभी को सदैव रहेगी। सिर्फ किताबों में पढ़ा था पर उस दिन मैं समझा कि समय कितना बलवान होता है, हम सभी सिर्फ वक्त के हाथों की कठपुतली हैं। मैं स्व0 श्री मोहम्मद इश्तियाक के परिवार की ओर से आदरणीया CMD महोदया, निदेशक (मानव संसाधन), निदेशक (वित्त), मुख्य महाप्रंबन्धक (मानव संसाधन), अपर महाप्रबन्धक (तकनीकी प्रचालन), कम्पनी सचिव व उप महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) के द्वारा की गई हर सम्भव मदद त्वरित प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। स्व0 श्री इश्तियाक के परिवार के इस दुखद समय में कम्पनी के सभी उच्च अधिकारियों ने एक अभिभावक के रूप में परिवार का साथ दिया।

मैं, स्व0 श्री इश्तियाक के परिवार की ओर से सभी शुभचितंकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्हों ने ईश्वर से प्रार्थना के साथ–साथ श्री इश्तियाक के परिवार की पीड़ा को समझा व उसमें शामिल हुये। कार्यालय की वार्षिक पत्रिका में इस लेख के माध्यम से मैं निगम मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण व समस्त साथीगण को ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्वांजलि देता हूँ।

(मोहम्मद अरशद)
पर्यवेक्षक (आर एम)

गतिविधिक झलकियाँ

हिंदी सप्ताह का आयोजन

निगम कार्यालय में दिनांक 14.09.2020 से 18.09.2020 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे निबंध लेखन प्रतियोगिता, ऑनलाइन हिंदी प्रश्नोत्तरी, टिप्पण लेखन प्रतियोगिता, प्रशासनिक शब्दावली की स्मरण शक्ति प्रतियोगिता आदि का ऑनलाइन आयोजन किया गया जिसमें निगम कार्यालय में कार्यरत धिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। हिंदी सप्ताह, 2020 के समापन एवं राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह में दिनांक 28.09.2020 को सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इन सभी कार्यक्रम के दौरान कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 रोकथाम से संबन्धित सभी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया।

निगम कार्यालय में हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस अर्थात 14.09.2020 के अवसर पर निगम कार्यालय की राजभाषा ई-पत्रिका "अभिव्यक्ति" के प्रथम अंक का सफलतापूर्वक प्रकाशन किया गया तथा इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया।

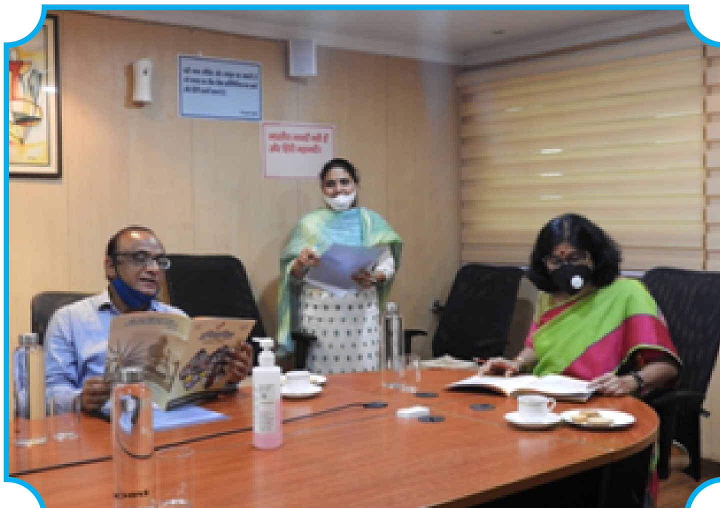

गतिविधिक झलकियाँ

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 का आयोजन

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुपालन में आज एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020 का उद्‌घाटन किया गया, जिसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्रीमती ममता सिंह, आईपीएस, श्री अजय अग्रवाल, निदेशक (वित्त) की उपस्थिति में अधिकारियों को निष्ठा शपथ दिलाई गई। कोविड-19 के कारण बोर्ड रूम में आयोजित प्रतिज्ञा समारोह में निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अन्य अधिकारियों को ई-माध्यम से शपथ दिलाई गई।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 तक मनाया जाएगा। सप्ताह के दौरान, एसपीएमसीआईएल की नौ इकाइयों के साथ-साथ आसपास के स्कूलों/कॉलेजों के बीच ई-व्याख्यान,ई-प्रश्नोत्तरी, पोस्टर प्रतियोगिताओं आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें सप्ताह के विषय ' सतर्क भारत, समृद्ध भारत' पर प्रकाश डाला गया है ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों और विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके जो आयोग का प्रमुख प्रयास भी है ।

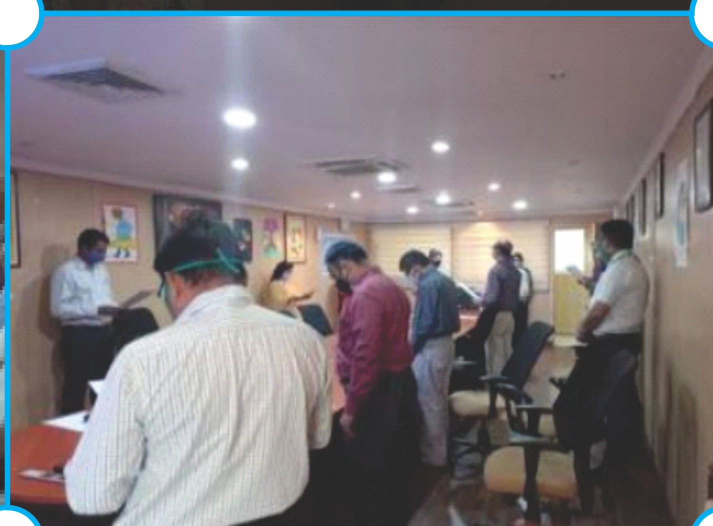

गतिविधिक झलकियाँ

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा एसपीएमसीआईएल, निगम कार्यालय का निरीक्षण

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा एसपीएमसीआईएल, निगम कार्यालय का दिनांक 27.10.2020 को राजभाषा संबंधी कार्य प्रगति का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का आयोजन अशोक होटल, नई दिल्ली में किया गया। इस निरीक्षण में एसपीएमसीआईएल सहित केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले अन्य 03 निम्नलिखित कार्यालयों का भी निरीक्षण किया गया :-

1. **उप महानिदेशक, क्षेत्रीय संचालन प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय**
2. **सांख्यिकी भवन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप-क्षेत्रीय कार्यालय तथा**
3. **निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद**

उल्लिखित आयोजन में एसपीएमसीआईएल, निगम कार्यालय ने समन्वय कार्यालय की भूमिका निभाई। जिसके लिए श्री भर्तृहरि महताब, उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा इस बारे में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक महोदया, एसपीएमसीआईएल को धन्यवाद ज्ञपित किया गया।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति में श्री भर्तृहरि महताब, उपाध्यक्ष के साथ श्री प्रतापराव जाधव, सांसद (लोक सभा), श्री बसंत कुमार पांडा सांसद (लोक सभा), सुश्री सरोज पाण्डेय, सांसद (राज्य सभा), डॉ अमी याजनिक, सांसद (राज्य सभा), श्रीमती कान्ता कर्दम, सांसद (राज्य सभा) उपस्थित रहे। इसके साथ समिति से जुड़े अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी निरीक्षण में उपस्थित रहे।

एसपीएमसीआईएल, निगम कार्यालय से इस निरीक्षण में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक महोदया, निदेशक (मानव संसाधन), मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) तथा उप प्रबंधक (राजभाषा) भी उपस्थित रहे। चूंकि एसपीएमसीआईएल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन है इसलिए मंत्रालय से सलाहकार (आईईआर एवं संयुक्त सचिव (प्रशासन)) तथा संयुक्त निदेशक (राजभाषा) भी उपस्थित रहे। अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक द्वारा समिति के समक्ष अपने संबोधन में निरीक्षण समिति के उपस्थित सम्माननीय सदस्यगण, संसदीय राजभाषा समिति के अधिकारीगण, मंत्रालय एवं हमारे निगम के वरिष्ठ अधिकारीगणों का हार्दिक स्वागत किया गया।

गतिविधिक झलकियाँ

एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय एवं इकाइयों में संविधान दिवस, 2020 का आयोजन

एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय एवं इकाइयों द्वारा संविधान सभा में वर्ष 1949 में संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस, 2020 का आयोजन किया गया। कोविड-19 महामारी से बचाव को ध्यान में रखते हुए एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय के निदेशक मण्डल एवं अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया। इसके पश्चात निगम कार्यालय में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाहरी प्रवक्ता द्वारा इस अवसर पर एक प्रशिक्षण सत्र का भी आयोजन किया गया।

एसपीएमसीआईएल द्वारा डीआईपीएएम के दिशा - निर्देशों के अनुपालन में 2019-20 के लिए भारत सरकार को 215.48 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान।

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) ने डीआईपीएएम के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के 31 मार्च 2020 के अनुसार अपने निवल मूल्य के 5 % की दर से 215.48 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2019-20 के लिए करोपरांत लाभ (पीएटी) का 41 %] के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है।

एसपीएमसीआईएल की ओर से सुश्री तृप्ति पी. घोष, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक ने श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी), एसपीएमसीआईएल सहित माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को श्री तरुण बजाज, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग तथा डॉ. शशांक सक्सेना, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार (सी एंड सी) की गरिमामय उपस्थिति में लाभांश चैक भेंट किया।

गतिविधिक झलकियाँ

एसपीएमसीआईएल ने वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक नोट, सिक्के, प्रतिभूति दस्तावेज़, पासपोर्ट, प्रतिभूति स्याही और अन्य प्रतिभूति उत्पादों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया है। एसपीएमसीआईएल ने 2019-20 में 9824 मिलियन नग बैंक नोटों, 3282 मिलियन नग परिचालन सिक्को, 7010 मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिभूति कागज तथा 851 मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिभूति स्याही का उत्पादन किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी का परिचालन से राजस्व 4966 करोड़ रुपए रहा और करपूर्व लाभ बढ़कर 1026.79 करोड़ रुपए हो गया है। एसपीएमसीआईएल ने वर्ष 2019-20 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) से निगम अभिशासन के लिए **"उत्कृष्ट"** श्रेणी भी प्राप्त की है।

निगम मुख्यालय द्वारा दिनांक 17.2.2021 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन

एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय तथा इसके नियंत्रण की 09 इकाइयों राजभाषा अधिकारियों एवं अनुवादकों के लिए दिनांक 17.02.2021 को निगम मुख्यालय में ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का शुभारंभ सुश्री तृप्ति पात्रा घोष, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, श्री सुनील कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन), श्री अजय अग्रवाल, निदेशक (वित्त), श्री बी.जे. गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) एवं श्री प्रकाश कुमार, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के साथ दीप प्रज्वलन कर विधिवत किया गया। सम्मेलन के दौरान कंपनी की आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमावली, 2020 के द्विभाषी संस्करण का भी वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा विमोचन किया गया।

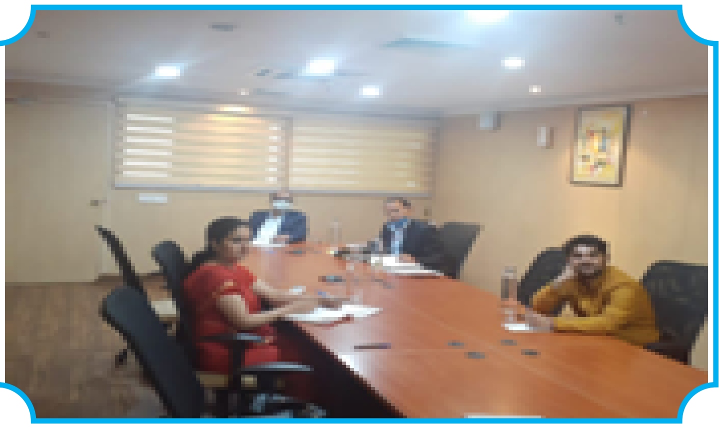
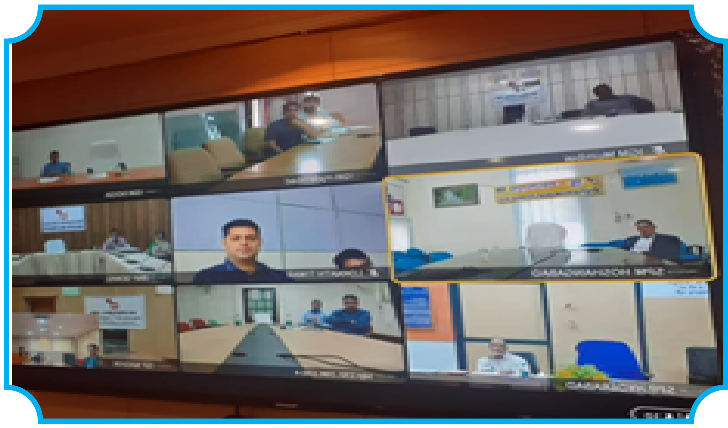
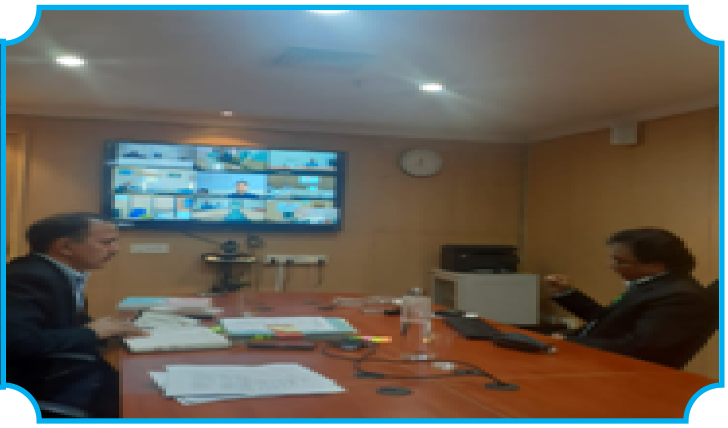

सुश्री तृप्ति पात्रा घोष, अध्यक्ष तथा प्रबांध निदेशक, एसपीएमसीआईएल ने अध्यक्षीय संबोधन में निगम के नियंत्रण की सभी 09 इकाइयों में बेहतर कार्यों की सराहना की तथा पुरस्कृत इकाइयों को अपनी बधाई दी। उन्होंने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति पर ज़ोर दिया। उन्होनें प्रेरणास्वरूप कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियों का पाठ किया-

गतिविधिक झलकियाँ

**"लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की कभी हार नही होती"**

इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सभी इकाइयों के मुख्य महाप्रबांधक भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में श्री राजेश श्रीवास्तव, उप निदेशक (राजभाषा), गृह मांत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुवाद के लिए "कंठस्थ" का प्रशिक्षण दिया गया। अपराह्न सत्र में निदेशक (मानव संसाधन) की अध्यक्षता में निगम कार्यालय सहित सभी इकाइयों के वर्ष 2019-20 के दौरान राजभाषा कार्यों की समीक्षा की गई।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2021

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर निगम कार्यालय एवं सभी इकाइयों में महिला दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रस्तुत है मुख्यालय से संबन्धित कार्यक्रम की झलकियाँ:

निगम मुख्यालय द्वारा इकाइयों का राजभाषा निरीक्षण

वर्ष 2020–21 के दौरान निगम कार्यालय द्वारा प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद तथा भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद में क्रमशः दिनांक 9–10 मार्च, 2021 तथा 11 मार्च, 2021 को राजभाषा निरीक्षण संपन्न किया गया।

गतिविधिक झलकियाँ

हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा राजभाषा के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से नगर राजभाषा कार्यान्व्यन समिति, दिल्ली (उपक्रम-2) के तत्वावधान में समिति के सदस्य कार्यालयों के प्रतिभागियों के लिए स्कोप परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली स्थित टैगोर हॉल में दिनांक 19.03.2021 को “हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता” का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। श्री एस.के. सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन), एसपीएमसीआईएल द्वारा मंचासीन सदस्यों के साथ दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंचासीन मंडल को पुस्तक तथा पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पौधा भेंट कर स्वागत किया गया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री सिन्हा द्वारा उल्लेख किया गया कि इस प्रकार के आयोजनों से राजभाषा के प्रचार-प्रसार में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। उन्होंने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (उपक्रम-2) को राजभाषा गतिविधियों के निरंतर सफलतापूर्वक आयोजन हेतु प्रसन्नता व्यक्त की तथा आगामी कार्यक्रमों के लिए अपनी शुभकामनाएँ दी। इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों जैसे महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' सुमित्रानंदन पंत तथा जयशंकर प्रसाद की कविताओं का पाठ किया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण से श्रोताओं ने भरपूर आनंद उठाया। इस कार्यक्रम के निर्णायकों में श्री अशोक कुमार, सदस्य सचिव, नराकास, दिल्ली (उपक्रम-2) तथा विशेषज्ञ के रूप में श्री मोहिन्द्र शर्मा, हास्य कवि को आमंत्रित किया गया।

इस अवसर पर एसपीएमसीआईएल से श्री बी.जे. गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) तथा श्री प्रकाश कुमार, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) भी उपस्थित रहे।

निगम स्थापना दिवस 2021

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड ने अपना 16वां स्थापना दिवस दिनांक 08.04.2021 को डिजिटल माध्यम से मनाया। इस कार्यक्रम में श्री शशांक सक्सेना, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की उपस्थिति में सुश्री तृप्ति पात्रा घोष, सीएमडी, एसपीएमसीआईएल द्वारा निगम कार्यालय के वर्ष 2019-20 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अधिकारियों को प्रमाण पत्र एवं चैक भेंट किए।

इस अवसर पर, श्री सुनील कुमार सिन्हा, निदेशक (मा.सं.), श्री अजय अग्रवाल, निदेशक (वित्त) एवं श्रीमती ममता सिंह, (भापुसे), मुख्य सतर्कता अधिकारी भी उपस्थित रहें। इस अवसर पर अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक महोदया ने कंपनी की उपलब्धियों का उल्लेख किया साथ ही वर्तमान में किए जा रहे नवोन्मेष कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने सभी कर्मियों से कंपनी के हित में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आहवान भी किया। साथ ही, इकाइयों के मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा अपनी इकाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी प्रमाण पत्र एवं चैक भेंट किए गए। कार्यक्रम में निगम मुख्यालय सहित सभी 09 इकाइयों से उपस्थित मुख्य महाप्रबंधक सहित उच्च स्तर के कार्यपालक विजेता तथा संघ प्रतिनिधि भी उपस्थित रहें।

श्री शशांक सक्सेना, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने अपने संबोधन के दौरान एसपीएमसीआईएल के सभी कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कोविड महामारी के बावजूद लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एसपीएमसीआईएल की सराहना की। उन्होंने आगे मंत्रालय के मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आश्वस्त दिया।

इस अवसर पर वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों के पुरस्कारों की भी घोषणा की गई तथा इकाइयों में समग्र श्रेष्ठ निष्पादन हेतु प्रतिष्ठित सीएमडी कप बैंक नोट मुद्रणालय, देवास को प्रदान किया गया।

गतिविधिक झलकियाँ

श्री एस.के. सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन दिया गया जिसमें उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई दी तथा कार्यक्रम से जुडे माननीय सदस्यों एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी के योगदान हेतु आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों का पूर्णत: पालन किया गया।

सार्वजनिक उपक्रम दिवस, 2021

सार्वजनिक उपक्रम दिवस, 2021 के उपलक्ष्य में एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय द्वारा अपनी सभी नौ इकाइयों में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सप्ताह के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस अवसर पर श्री शैलेश, भा.प्र.से. सचिव, भारत सरकार, लोक उद्यम विभाग द्वारा दिए गए संदेश का भी पाठ किया गया। निगम कार्यालय में इस आयोजन में बैनर आदि प्रदर्शित किए गए तथा दिनांक 15.04.2021 को एक प्रश्नोतरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार रहा- प्रथम पुरस्कार - श्रीमती रश्मि कौशिक, कार्यालय सहायक (रा.भा.) द्वितीय पुरस्कार - श्रीमती प्रिन्सी भाटिया, पर्यवेक्षक (आर.एम) तृतीय पुरस्कार - श्री नितिश उपाध्याय, उप प्रबंधक (तकनीकी) विजेताओं को श्री एस.के. सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा चैक भेंट किए गए।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021

सातवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एसपीएमसीआईएल, निगम कार्यालय में 21 जून, 2021 को प्रातः 11:30 बजे आयोजित ऑनलाइन योग शिविर में सुश्री तृप्ति पात्रा घोष, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक ने उद्घाटन संबोधन में योग शब्द की व्युत्पति से लेकर आधुनिक योग दिवस संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख किया। उन्होंने योग को अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर श्री सुनील कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) तथा श्री अजय अग्रवाल, निदेशक(वित) भी कार्यालय से ऑनलाइन उपस्थित रहे। इस अवसर पर निगम की सभी इकाइयों में भी कर्मचारियों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए योग सत्रों एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कोविड संबंधी अनुदेशों का पालन करते हुए किया गया जिनमें कंपनी के कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया।

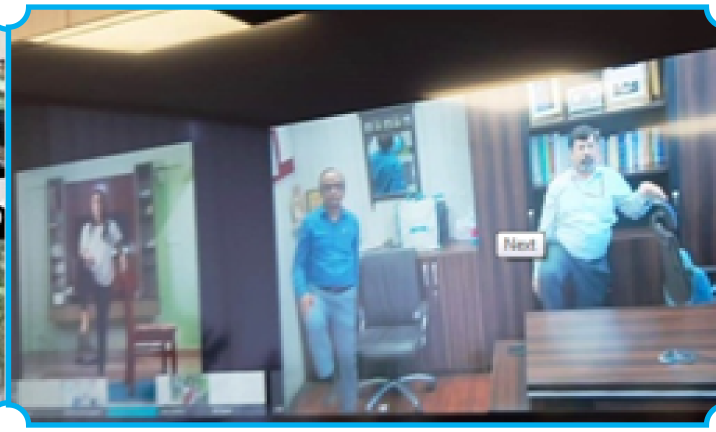

कोविड-19 टीकाकरण शिविर

एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के लिए कोविड-19 महामारी के निवारक उपायों के तौर पर कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। यह टीकाकरण ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली की ओर से उपस्थित डॉ. पल्लवी जैन, एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। इस आयोजन में एसपीएमसीआईएल वरिष्ठ प्रबंधन से लेकर टीकाकरण के शेष सभी कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया तथा सभी लाभार्थियों को कोविशील्ड दवा की डोज़ दी गई।

गतिविधिक झलकियाँ

श्री एस.के. सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) का प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद में शासकीय दौरा

श्री एस.के. सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा दिनांक 03 अगस्त 2021 को प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद में शासकीय दौरा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने इकाई द्वारा कंपनी कर्मचारियों के लिए निर्मित अतिथि गृह, कैफेटेरिया, कैंटीन आदि का उद्घाटन किया। उन्होने कारख़ाना क्षेत्र का भी दौरा किया तथा अधिकारियों एवं संघ प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। श्री एस.के. सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) ने इकाई द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना की।

दृष्टि/VISION

उत्कृष्टता और नवोन्मेष द्वारा मुद्रा, सिक्कों और प्रतिभूति उत्पादों के विनिर्माण में श्रेष्ठ रहना।

To be leader in manufacturing of currency, coins and security product s through process excellence and innovation

लक्ष्य/MISSION

- संपूर्ण क्षमता एवं डिजाइन निर्माण सामर्थ्य द्वारा पारदर्शी, लागत प्रभावी और कुशल तरीके से अत्याधुनिक मुद्रा, सिक्कों तथा विविध प्रतिभूति उत्पादों को तैयार करना।
  Developing state-of-art currency, coins and diversified security products in a transparent, cost-effective and effecient manner by leveraging core competency and building design capabilities.
- मानक, प्रक्रिया स्वचालन, अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास, स्वदेशीकरण और तीन प्रमुख क्षेत्रों समाज, पर्यावरण एवं वित्तीय लक्ष्यों पर निरंतर ध्यान केन्द्रित करना।
  Constantly focusing on benchmarking, process automation, applied R & D, indigenization and the triple botton line people, plant and profit.
- कर्मचारियों, ग्राहकों और हितधारकों का हित सुनिश्चित करना।
  Ensuring employees, customers and stakeholders delight.

स्मारक सिक्के

और भी अनेक उपलब्ध..................

ये स्मारक सिक्के सीधे एसपीएमसीआईएल की वेबसाइट(https://www.spmcil.com) के माध्यम से ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप फोन :011-43582200, 40580035, पर संपर्क कर सकते हैं।

स्मारक सिक्के, बिक्री केन्द्र

खुदरा क्रय केंद्र/Retail Sale Counter	2. कोलकाता/Kolkata	3. हैदराबाद/Hyderabad	4. नई दिल्ली/New Delhi-110001
1. मुम्बई/Mumbai भारत सरकार टकसाल India Government Mint शहीद भगत सिंह मार्ग किला Shahid Bhagat Singh Marg Fort मुंबई, महाराष्ट्र - 400001 Mumbai, Maharashtra - 400001 भारत/India Phone: 022-22623696	भारत सरकार टकसाल India Government Mint अलीपुर Alipore कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700053 Kolkata, West Bengal - 700053 भारत/India Phone: 033 2401 0132, 033 2401 4132/33/34/35 (Ext. 316, 325)	भारत सरकार टकसाल India Government Mint आईडीए, चरण- II IDA, Phase-II चेरापल्ली, (R.R जिला) Cherapally, (R.R district) हैदराबाद, तेलंगाना – 500051 Hyderabad, Telangana - 500051 भारत/India Phone:04027266095	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड Security Printing and Minting Corporation of India Limited प्रथम तल, जवाहर व्यापार भवन/1st Floor, Jawahar Vyapar Bhavan जनपथ/Janpath नई दिल्ली/New Delhi, दिल्ली/Delhi - 110001 भारत/India Phone:011-43582200, 40580035, (रविवार और अवकाश के अतिरिक्त कार्यालय समय: प्रात: 09 बजे से सांय 5.30 तक)

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

मिनीरत्न श्रेणी-I सीपीएसई (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

16वां तल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली –110001

वेबसाइट : www.spmcil.com

सीआईएन : U22213DL2006GOI144763

फोन : +91-11-23701225-26, 43582200 I फैक्स : +91-11-2370122